14 JAN 1960

ंयुक्त खदान मजदूर संघ जिन्दाबाद। लाल झण्डा जिन्दाबाद।

भिलाई स्टील प्रोजेक्ट की चिखली राजहरा खदान के कामगारों की शानदार जीत

प्रिय खदान कामगार एवं बहनों,

करीब दो साल की कोशिश और आन्दोलन के बाद श्री ज्योति ब्रदर्स ठेकेदार के पास काम करने वाले चिखली राजहरा खदान के कामगारों के रेट में कुछ बढ़ती हुई और मट्टी का नाप मिलना एवं १५ अगस्त, २६ जनवरी, गांधी जयन्ती की पगारी छुट्टी मिलना शुरू हुआ है। यह जीत कामगारों एवं लाल झन्डे के नीचे संयुक्त खदान मजदूर संघ के बाद एक और जीत है। इसके पहले भी इसी यूनियन की कोशिश से झोपड़ों की व्यवस्था, पानी, हवा की व्यवस्था, काम के घन्टे में नियमितता मनमाना जुर्माना करना और गेट की प्रथा खत्म हुई हैं। यूनियन का सदस्य बनना एवं सभा वगैरा लेना शान्तीपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। यूनियन की ओर भारत सरकार के श्रममंत्री- भिलाई के जनरल मैनेजर, खदानों के सुप्रीन्टेन्डेन्ट, ज्योति ब्रदर्स, रीजनल लेबर कमिश्नर आदि अधिकारियों के पास नीचे लिखी कामगारों की माँगों का एक मांग पत्र पेश किया गया है।

१) रेट और पगार में निम्नलिखि बढ़ौती की जावे:—
६।।।) रु० फरमा बड़ा बोल्डर ४।।) रु. डी एफ एल बोल्डर ४) रु० रिकनिंग एवं चिल्ली का और मिट्टी का ४।।) रु० १०० फीट चौरस का मिलना चाहिए, फरमा २५ फीट चौरस होना चाहिए तथा जो बड़े २ बोल्डर खदान पर पड़े हैं जिसको मजदूरों ने काफी मेहनत के साथ खोद कर निकाला था, उसको फोड़ने का हक एवं पैसा कामगारों को मिलना चाहिए।

२) बोनस— कामगारों की पैदावार के फायदे में से हर तीन माह की हाजरी का बोनस मिलना चाहिये।

छुट्टी:— माईन्स एक्ट की छुट्टी के अलावा केजुअल लीव, बीमारी की छुट्टी और बड़े बड़े त्यौहार की छुट्टी जैसे १५ अगस्त, २६ ज० गाँधी जयन्ती, मई दिवस, दिवाली, दशहरा, होली एवं पोले की पगारी छुट्टियां मिलना चाहिए।

पक्के मकान:— सरकारी योजना के मुताबिक कामगारों के रहने के लिए पक्के मकान, सन्डास, पानी एवं बिजली सहित मिलना चाहिए।

डाक्टरी इलाज एवं दवाई— खदान में काम करने वाले मजदूरों को ठीक से डाक्टरी सहायता एवं दवा मिलना चाहिए खदान में एक्सीडेन्ट एवं चोट लगने पर एम्बूलेन्स गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिये।

६) प्राव्हीडेंट फन्ड ग्रेच्युटी:- कामगारों को काम छोड़ने पर बुढ़ापे आदि सहारे के लिए प्राव्हीडेन्ट फन्ड एवं ग्रेच्युटी की योजना लागू होना चाहिये।

७) सस्ता अनाज:- हर चीजों के बढ़ते हुए भावों को देखते हुए खदान में सस्ते अनाज की व्यवस्था कम्पनी को करना चाहिए

८) विश्राम गृह एवं क्रिचेस— दोपहर में विश्रांति के समय धूप एवं बरसात से बचने के लिए एवं छोटे २ बच्चों की व्यवस्था के लिए खदान के अन्दर क्रिच घरों की एवं विश्रामगृह की व्यवस्था होना चाहिए।

९) स्थायी कानून:— मजदूर एवं मालिक के रिश्ते ठीक रखने के लिए स्थायी कानून बनाना जरुरी है।

१०) पक्की नौकरी:— जिन कामगारों को काम करते हुये करीब १ वर्ष हो चुका है, उनकी पक्की नौकरी की जावे चाहे वह कामगार किसी भी खाते का एवं वर्क चार्ज क्यों न हों।

११) तरक्की — किसी भी कामगार को तरक्की नौकरी की अवधि को देखते हुये सालाना की जानी चाहिए तरक्की में पक्षपात एवं भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए।

१२) सायडींग के कामगार ८ घंटे से ज्यादा काम करते हैं उनको ओव्हर टाईम मिलना चाहिये।

ऊपर लिखी माँगों को प्राप्त करने के लिये यूनियन की राय से एवं कानूनी तरीकों से अपना आन्दोलन मजबूत कीजिये किसी उच्चक्के तरीके से, नेताओं की बिना राय लिये कोई कदम उठाना किसी भी कामगार के लिए फायदे मन्द नहीं होगा। सब लोगों का मिल जुल कर एक राय होकर सोचना जरुरी है। आप लोगों के अन्दर कई ऐसे व्यक्ति घुस गये हैं जो कामगारों को भड़का कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हर कामगार को सावधान रहना चाहिये।

हम तमाम खदान के कामगारों से अपील है कि जो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट की खदानों में अथवा उनके अन्तर्गत ठेकेदारों के पास कार्य करते हों कि तमाम कामगार भाईयों को जोरदार ताकत में संयुक्त खदान मजदूर संघ का सदस्य बनना चाहिये। असंगठित रहकर या बिना एकता हासिल कर अलग अलग तरीकों से आन्दोलन करके ये माँगें किसी को नहीं मिल सकती। इस लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत में लाल झन्डे के नीचे इकट्ठे होकर सदस्य बनकर संगठन को मजबूत बनाकर सही तरीकों से आन्दोलन करके अपनी माँगों को हासिल करें।

आप का:—

एस० डी० मुखर्जी	कृष्ण मोदी	प्रकाश राय	एस० के० सन्याल
अध्यक्ष	कार्याध्यक्ष	शाखा मंत्री	प्रधान मंत्री

संयुक्त खदान मजदूर संघ

(र० न० २५५०)

दिनांक १५-१२-५९ भरकापारा, राजनाँदगाँव म० प्र०

ज्योती ब्रदर्स का अनैतिक कार्य

नोटः- ता० १८ को श्री उदेराम कामगार को ज्योती ब्रदर्स ने इसलिये खदान से बन्द किया है कि जब तक वह अपनी स्त्री को केम्प के बाहर नही कर देता तब तक वह खदान पर नहीं आ सकता ज्योती ब्रदर्स अब उन दोनों को केम्प के बाहर बन्द गुण्डो के जरिये करने वाली है। अगर एसा हुआ तो लाल झन्डा यूनियन अपना कड़ा से कड़ा कदम ज्योती ब्रदर्स की अनैतिक कार्यवाही के खिलाफ उठावेगा जिसकी जवाबदारी भिलाई स्टील प्रोजेक्ट पर रहेगी।

संयुक्त खदान मज़दूर संघ

BEFORE THE REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) MADRAS.

Industrial Dispute

Between

1. Workmen employed in Kalyanram Mica Mine, Kalichedu;

And:

2. Management of the Kalyanram Mica Mine, Kalichedu.

R.L.Cs. No. M-106(2)/60, d/- 4-8-1960.

Written statement filed on behalf of the Workmen of the Kalyanram Mica Mine.

...

1) It is submitted that the employees of the Kalyanram Mica Mine are entitled to a bonus of an amount equal to three months wages for the following among other grounds:-

a) The Kalyanram Mica Mine is one of the two leading productive Ruby Mines in Nellore District and its mica is of very good quality ruby mica known as "K.C" Mica.

b) The production of the said mine has been increasing rapidly since the last 3 or 4 years. The daily production of crude mica from the said mine is on an average about three-fourths of a ton per day since 1957-58. The residuary quality grade mica would weigh about 800 lbs excluding waste. The resultant waste will be one-fourth of a ton and the remaining will be scrap. The net weight per month is 1½ lakhs of rupees calculating the average price of one lb. of mica at Rs. 12/-. The annual net profit is 15.00 lakhs since 1957-58.

c) The labour force employed, the quantity of explosives used, the electrical energy consumed, the number

of drillers employed, the number of cutters engaged, the sales effected, the quantum of work done at the factory situated at Venkatagiri, the Royalty paid to the Government, the sales-tax and income-tax collected, represent to some extent the nature of profits secured by this mine. Bute the real production and real profits re not indicated by their open accounts. The suspense account represents 70 to 80 percent of the production.

d) Normally, there are two sets of accounts - the private and the public - It is only the private account, that is maintained from day to day that represents the real production and profits and not the accounts submitted to the authorities concerned.

e) The exact nature of higher production is not indicated by the figure contained in the consignment or the Royalty registers, the accounts furnished to the Incometax Authorities.

f) The rate of mica goods have increased substantially. For example, the price of a pound of 6th grade ruby mica blocks of the 'K.G' Mine (Kalyanram Mine) were being sold at Rs. 1-12-0 in 1954. They are being sold since 1957 at Rs. 4/- per lb. Recently, the price has shot up to Rs. 5/-. A pound of 5th grade ruby block mica which was being sold at Rs. 5/- in 1954 is being sold at Rs. 9/- since 1958. Since the begining of 1959, the price has shot up to Rs. 10/-. The price of one ton of mica waste (rejected mica stuff) which was being sold at Rs. 1,000/- in 1954 is being sold at Rs. 2,000/- since 1958. Since the begining of 1960, the price had shot up to Rs. 2,200/-. Similarly, the price of some other

grades and qualities have gone up. So, it is clear that the price have increased by 50% to 100% approximately.

g) The demand of the employees is for 3 months wages estimated at Rs. 50,000/- (Fifty thousands). The net profits of the mine is Rs. 15.00 lakhs. So, compared with the quantum of profits, the demand is very reasonable.

h) The cost of living had arisen by 100% to 1000% since 1952. There was no increase in wages since 1952 to 1960. Hence the real wages have gone down. There is no prospect of mica prices falling down in view of the monopoly enjoyed by ~~similar~~ Indian mica in the World and the inflationary tendencies manifesting every where in the world.

i) The policy of the Government is to increase the standard of living of the people. It's labour policy is based upon the directive principles enunciated in Part IV of the Indian Constitution.

2. It is submitted that the R.L.C. may be pleased to consider all the circumstances and seet that the employees are paid atleast three months bonus.

Yours faithfully,

(Sd) C.C. SUBBAIAH
(GENERAL SECRETARY.)

Dated: 16-8-1960.

Note: Conciliation ~~fail~~ proceeding ended in failure.

—(True Copy)—

N O T E.

1. Sri Amritnagar Selected Colliery : (P.O. Raniganj) :

The whole colliery area is in a state of terrorised atmosphere. The workers and active members of the Colliery Mazdoor Sabha are being threatened, abused and even beaten by the Manager, Agent, Gomosta Babu and Marwari chaprasis, specially brought from Rajasthan. Two of the Union leaders Raj Kumar Harijan and Lakhan Telli had their houses looted by these armed chaprasis under instructions of the owner, agent or Manager in broad day - light last month. Incidentally, these two Union leaders were dismissed and the cases of these persons are pending before the Conciliation Officer (Central), Raniganj.

In spite of the imposition of Sec. 144 Cr.P.C. the Manager and/or the Agent do not hesitate to send large number of these chaprasis and Goondas to move about in the colliery area with lathis and spears and Police on the other hand are complete inactive. It is suspected that the Police is in active collaboration with the management. Numerous letters of complaint have already been sent to the O.C., Raniganj P.S. and S.D.O., Asansol but to no effect.

2. The North Brook Colliery, P.O. JayKay Nagar.

This Colliery was recently transferred from the management of Sri B. K. Roy to K. Borah. After this transfer one D. N. Singh, contractor-cum-sirdar has been repeatedly threatening the workers and Union leaders and though the Raniganj Police was duly informed no step has been taken. On the night of 24th February last, there was some fight between the Manager and chaprasis on one hand and some trammers on the other. After this fight the said D. N. Singh came back with a truck load of armed goondas and raided the workers' quarters and even opened fire on the workers.

On the 25th noon, a strange thing happened - the trammers and workers who were returning home, though they had been assaulted on the night before and fired upon, were arrested by the Police instead of the persons who had assaulted them. Thereafter, while they were actually under arrest these workers were mercilessly beaten and left bleeding. These workers have now come out on bail and dare not to go back to their quarters for fear of their lives. In this case also, numerous complaints have been lodged with the O.C., Raniganj P.S., Addl. S.P., Asansol and S.D.O., Asansol but to no effect. Even spent cartridges had been handed over to the S.D.O., Asansol, to show the exact position but no steps have been taken.

3. Chapui Khas Colliery. P.O. Kalipahari :-
This is one of the biggest collieries of Sahu Jain concern, and here also the same story has been repeated as in the other collieries. Workers were beaten and false cases started against them and Police though informed did not take any step. The only step Police sometime takes is to arrest the persons who have been assaulted, that is to say, the workers and Union leaders.

It is to be noted that on the 24th of March last a large number of outsiders fully armed and under the leadership of one Phani Missir attacked the Union members. The Police in this case also arrested those who were assaulted but allowed Phani Missir and armed outsiders to go free.

4. East Jemehary Colliery : Here the Management illegally locked out the colliery and thereafter, refused to take back a large number of loaders and miners after it was reopened in the middle of 1958. That the lock-out was illegal has been held both by the R.L.C.(C), Dhanbad and the Industrial Tribunal, Dhanbad. After the intervention of the Labour Ministry, New Delhi, about 70 persons were re-employed, though 40 more are still to be taken back. These 40 workers with their families are living a most miserable existence outside the Colliery. Not only no protection has been given to any of the workers who have been assaulted or threatened, there have been some murders committed in this area and the investigation, if any, has been done in such a manner that nothing has happened so far. Last month a ~~workman~~ woman was found murdered with her head chopped off. One of the Union members Sri Gope who was re-employed after the Central Government intervention was also found murdered sometime last month. In short, law and order do not exist in this area.

5. There are two other collieries where similar things are happening. These are - Mahabir Colliery and Belbad Colliery. The Belbad Colliery, however, is not under the Raniganj P.S. but under Jamuria P.S.

The main enquiry in my submission would be -

(a) How is it that such large areas under Raniganj - P.S. and Jamuria P.S. remain to be disturbed without effective control by the Police.

(b) Numerous Awards under the Indistrial Dispute Act go completely unimplemented and no steps have been taken by Government for ~~implemen~~ implementation.

(c) The allegation that Police has become corrupt in this area and actively siding with the anti social elements and have become a tool in the hands of the mine - owners .

(d) Even after imposition of Sec.144 Cr.P.C. how is it that Goondas are allowed to move about with lathi and spears, though workers are not permitted to take out normal deputation to the Management.

(e) No steps are taken against persons who have used fire arms against workers.

(f) The local Police or the Authorities do not take any step whatsoever in spite of the numerous complaints lodged on ebhalf of the workmen or by the Union.

East Nimcha
Barsenip. case. — [illegible]
[illegible]

—

4 JAN 1960

संयुक्त खदान मजदूर संघ

Samyukt Khadan Mazdur Sangh

(Regd. No. 2550)

Affiliated to:—
ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Ref. No. ....

Dated 12th January 1960

To
Comrade S.A. Dange M.P.
Genl. Secy. A.I.T.U.C.
New Delhi

Dear Comrade,

I was released from Jail on 8th January and reached Rajnandgaon on 10th. I have gone through your letter dated 5th December and other notes sent by Com. K.G. Shivastava, Regarding B.N.C Mills and the Iron Mines. On 11th, I had to be busy for another appeal Case of my own. In this Case the lower Court has given me 3 months R.I. Conviction. So I Could not write you early.

During this one month Coms S.K. Sanyal and Krishna Modi visited Iron mines area. From a note left by Sanyal, I learnt that, he had already sent you informations up to date, as you asked for.

I further learnt from Modi that during this period, one group leader (Arjun) in mines, unnecessarily provoked the workers, Continued three days strike, and adviced mass of the workers to desert the mines. As a result nearly 5/6 hundred workers whome we counted as the force, left old mines and went in new areas. So for the time being our position has become weak. Now fresh attempts are to be made in all the mines of this area and for which some sort of positive steps are required. Recently we have issued one handbill. I don't know whether you received a copy, however I am sending one herewith.

In your letter dated 5th Dec, you promised to send me your suggestions by the end of last month. It was not received here up till now.

o kindly find out time to help us
n this respect as early as possible.
I will proceed in the mines area within
14 days.

Rest when we receive your reply
or any instruction from the A.I.T.U.C.

With Greetings.

Yours Comradely,

Prakash Roy
12/1/60

January 14, 1959

Com.Prakash Roy,
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh,
RAJANANDGAON, M.P.

Dear Com.Prakash Roy,

Thanks for your letter of 12th Jan. to Com. Dange.

2. Com.Dange has gone to Bombay. He had taken your reports etc. I am not aware if he wrote to you from there. He will be now returning here only in February.

3. Now Com.Sanyal must be busy with the accident in Damua Colliery. If he happens to meet you please ask him to send detailed report for the Trade Union Record.

4. I have a mind to have a meeting of comrades working in various mines under Samyukta Khadan Mazdoor Sangh. As it is, it does not seem feasible before end of March or so. You know we have our General Council meeting in February (13-15) 1960. This will be useful in knowing conditions on the spot as well as keeping live contacts. We will fix up date in the General Council meeting.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Srivastava)

APR 1960

संयुक्त खदान मजदूर संघ

Samyukt Khadan Mazdur Sangh

(Regd. No. 2550)

Affiliated to:—
ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)
Camp. Iron-Mines office
Dalli-Rajhara.

Ref. No. ....

Dated 30th March 1960

To

Com. K. G. Shrivastava
Secy. A. I. T. U. C.
New Delhi

Dear Comrade,

Received all your letters. Com. Sanyal came in this area on 22nd. Firstly he visited 'Nandini-Ahiwara' and then 'Dalli-Rajhara' Iron Mines. He will send you a report from Nagpur. He had left for Nagpur on 28th. This time we could ~~get~~ contact with Nandini Ahiwara, Com. Ganga Choubey is following up. In Iron Mines, we have been struggling hard to go ahead. Local authorities are quite neglect-ful regarding the ~~local~~ grievances. Even after Bhilai experience they have not changed their attitude. We have decided to submit a final memorandum giving a notice of 15 days to respond. And if nothing is found by that time, decidedly we will have to think about some positive steps. I am going back Rajnandgaon this evening and I expect to send you copies within a day or two.

I have written Com. Dajee to fix up your program and intimate Com. Ganga Choubey, Baigapara, P.O. Durg. He will arrange everything. This we have decided, because, I am not in a position to give dates of my presence at Rajnandgaon, definitely. So it is better that you too write Com. Ganga Choubey regarding dates and send a telegram so that he is in a position to receive you at Station. Choubey will inform accordingly to me as well as Raipur Comrades.

I have received Rs 50/- only, from Dajee. Regarding the local expenses we need minimum like this:- Rs 35/- family wage to Com. Arjun, who is constantly staying in Iron Mines since 3 months. Rs 60/- at least for Dalli office expence, i.e. two ~~persons~~ fooding expences. For agitation and propaganda (Postage, Telegram, Handbills, Meetings, Stationary etc.) Rs 50/- and my T.A., T.A. for Sanyal & Modi from time to time Rs.50/- the total becomes Rs 200/- minimum per month. We believe that we will be able to cross this stage. But till that time if don't get the expected amount at a time per month, naturally, it will be hard job to pull on.

I expect you will think over this and do the needful.

Greetings. Yours Prakash Roy.

- 6 FEB 1960

(272)

Accident in Damua Colliery, district Chhindwara, on 5.1.1960.

Sixteen killed due to flooding of the mine.

By S. K.Sanyal, Nagpur.

Incline No. 9 of Damua Colliery got inundated on the 16 workers of whom 3 Gorakhpuri workers, 2 from Bilaspur district and the rest the local ones. Dewatering has been at an extremely slow speed, firstly because the management refused to avail of more pumpts that were spared by the adjacent collieries and secondly, because of low supply of electric energy.

In a village Damua, there are 3 collieries belonging to the C. P.Syndicate (P) Ltd. Co. of Nagpur. The place is 40 miles from the district place Chhindwara and 23 miles away from Parasia, the head-quarters of Regional Inspector of Mines. The Managing Director of the Company is Shri D.P.R. Casad, who has to his credit the mismanagement and consequent closure of Rajur colliery in district Yeotmal. In February, 1957, where the question of granting retrenchment compensation to the workers and implementing the LAI's award on all India Industrial (Colliery) Tribunal are still hanging fire in the Supreme Court.

The Incline No. 9 of Damua colliery is being worked since 1942 and the present output is nearly 1500 tons, working in 3 shifts a day. There is another colliery in Kalidrapar about 2½ miles away from Damua, under the same management. The total number of workers in these collieries under C.P. Syndicate would be about 1700. This employer also own several Manganese Mines in Madhya Pradesh, Maharashtra (Vidarbha) and Orissa. Besides, the Managing Director Mr. D.P.R. Casad is also the Managing Director of Nagpur and Wardha Electric Power Supply Companies. He is a conscious anti-working class employer, taking pride in championing all anti-worker measures by methods of longstanding litigations, tiring out the workers by denying them privileges if and when awarded by the Courts, victimising trade union workers, intimidation, threats, disruption. He is one of the most hated employers in this part of the two States. His wife is a Corporator in Nagpur on Congress ticket and is himself a subscriber to Swanantra Party views (though has not signed officially as yet) and protogorist of separate Vidarbha movement.

Causes of the Accident. The Mine is under working since 1942 and incline type. Only one seam top is being worked out. There is a ' fault '

whose vertical height between the two disturbed strata, is about 8 ft. It is in stage of pillaring. One of the sections completed its working about 10 months ago and was left unworked. This got filled with water. The working started on the otherwise of the fault. It is not known as to what length the work continued as shown by the signs ? ? in figure 1. The fault is to the dip side. The following explanations are given.

1. The roof collapsed and this roof was supporting the water column of the abandone working, Fig. 1.

2. The water was intended to be drained out by digging a hole and construct ing a drain; in an effort to join the two faces.

~~3.~~ Fig. 2

3. Most of the workers who got killed were working in level No. 24 and 23. Timbermen working in level 20 rushed out and escaped, though water had engulfed it just after a few minutes. This is shown in figure 2.
It is only the exact surrey map that can show the position of actual working and their distance from the abandoned area, which happened to be in the same seam.

Explanations lacking. (1) Either of the explanations given out cannot explain the vidations of the provisions of Sec.127 and particularly 127 (N) of the Coal Mines Regulations of 1957. This section set out in detail the measures to be adopted while approaching such areas either within the same seam or without.

(2) The second ~~storgy~~ story let out by the management that bore holes were undertaken, is yet to be corborated by facts -

(i) Firstly, the long boring bars are yet to be recovered, though it is feared that such manipulations will be made to introduce these instru--ments. This was also attempted in Parasia after the accident in Newton Chickli Colliery.

(ii) Secondly, the false entries in the stock register re: issue of materials is feared;

(iii) Thirdly, even if the bore-holes were dug, were they only the front holes or in all the four directs, as provided in the regulations are yet lacking authtntication;

(3) The pumps for dewatering the abandoned working face were removed just about 3 or 4 months ago.

(4) There is only one Manager and one Surveyor for the group of 3 working mines at the place. It is said a demand was made to provide with another surveyor but this was turned down by the employer to avoid increment in the cost.

(5) No proof is there to show that a fair barrier of abut 10 ft. was being maintained between the working faces and the fault that was proved earlier as shown in figure 1. This explodes the soundness of their explanatory factor, viz. that it was just an accident in an experiment to join the two faces.

Rescue Operations: Soon after the news of flooding of the Mine reached the nearest prominent centre Parasia at a distance of 23 miles, a number of Mine owners offered to supply the agent of Damua Colliery with men and material on the evening of the 5th January, 1960, itself. The agent was criminally callous and irresponsible enough to refuse the offers and accepted only one pump from an adjacent Shaw Wallace Colliery. Secondly, the agent had informed that the depth of dewatering would be from 250 ft. but the actual depth was nearly 600 ft.. This resulted in the delay of the operations. Thirdly, when other collieries were sending pumps, transformers and men even at the cost of their own working, the owner of this Colliery kept on working his other pits for a number of days. Fourthly, transformers were working with low capacity of power supply and adequate measures were not taken to run higher capacity worth mid-sumps. Firstly, inadequacy of all these resulted in actual opera--tions commencing only on the 9th and 10th January, 60.

Relief. The Managing Director Shri D.P.R. CASSAD lot of fanfare and press publicity announced that he would give Rs.100/- to the relatives of each of the 16 deceased workmen but in actual practice he distributed only that amount which the employees of an adjacent ' Rakhi ' Colliery under management of M/s Cambatta & Co. collected amonst themselves and sent to Shri Cassad for distri--bution. The Govt. has not distributed anything. Unlike that in Newton

Chickli accident at Parasia in 1955.

The workers from different collieries have collected about Rs.3200/- for distribution amongst the relatives of the deceased workmen. Besides this, nothing has been done by any other quarters.

Tempo: Soon after the accident, the INTVE leaders, who alone have a little influence over workers working immechanical section of the colliery went there and started with praises for the Manager and abuses against the agent, who happens to be a brother of the Managing Director. Shri Haldulkar went there and in a press statement demand an appointment of the Court of Inquiry, but after 4 days stated in private discussions that it is a natural accident. The manage,at and the LNTVC started a campaign intimida--tion and threats with the result that I had to move about more as a press-representative than a IVTVE representative. Since the Managing Director, Agent and top leaders of the INTVE know me well, my identity was soon exposed with the result that even when I moved in the workers' defai, people were scaved of talking to me, as soon as I talked to somebody, one of the Chaukidars would come and call the person to the Manager's office and I could not get food and shelter at the place. I had to stay in Parasia and with the help of my old contacts and a few workers who had worked in Rajur Colliery, which was under the same management, and where I had a strong and effective union. I could just go and gather up necessary information.

To have legal prerequisites, I have procured authorisation forms duly signed and prepared inorder to participate before any enquiry if and when held. I have also ~~kept a few~~ made a few contacts amongst the workers. The present tempo is dull. In absence of a powerful campaign, the flow of money was easily done and the management could strike a cheaper bargain, with the INTVE and Shri Haldulkar, and the probable witnesses. The only quarrel remained between the management and the Mines inspectorate.

We do not have any union work. The AITVE functioning is known only as a result of last Newton Chickli Colliery, Parasia enquiry in 1955-56. Besides a few others are known to me personally and that help us from time to time.

Prospects. No enquiry Court has yet been appointed as the Managing Director, Shri Cassad, is considered to be a big shot and a master Manoeuar--rer in the field is out to hush up the matter and manipulate in all

possible ways to escape an enquiry or any serious consequences.

" The accident was fully available " is the consensus of opinion. An importan official of an adjacent colliery told me that this management simply cannot escape the vidatious of the provisions of Coal Mines Regulations. A good conducting of the case is bound to bring to book this proud, callous, intriguer, irresponsible and boasting employer.

I have been trying to have some Trade Union functioning in adjacent collieries but it will take a long time. Only with AITVE responsibility the enquiry can be conducted. I am sending hand-bill on behalf of the BMF. A copy will be sent to you. I am repeating my visits.

The report is delayed because arrangement of technical report and photos that I had arranged for, even at fancy price, could not be had, till to-day, coupled with this was my work in Iron Mines.

1 APR 1960

संयुक्त खदान मजदूर संघ

(ए. आय. टी. यू. सी. से संम्बन्धित)

मुंबईप्रदेश – मध्यप्रदेश

र. नं २५५०

फोन नं. ४४१७
Phone: 4417(Office)
8275(Resi.)

एस. के. सन्याल,
प्रधान. मंत्री

मुख्य कार्यालय :
तिलक पुतला, महाल, नागपूर

अ. नं.

दिनांक 30 - 3 - 60.

Dear Com.Srivastava,

Received one of your letters at Jharandulli having sent to me from Rajnandgaon. The letter you have referred in that intimating the change of the proposed visit was to my hand here last evening on my return from the mines.

Re: the situation in the mines, we prepared a memorandum and you must have recived by now. Com.Roy was to have got it typed at Rajnanadgaon and sent you a copy of the same. The demands are very ~~precis~~ precise and call for immediate redressal. Our tentative decision is that failure to fulfill them at an early date will oblige us to go in for a struggle. The indication was already communicated in our earlier letter to you by Com.Prakash Roy. I had very much desired your participation in the full discussion and seeing things for yourself. Post is not always the adequate channel for thorough discussion in a serious matter.

As for the financial requirements over which we had a detailed discussion at Bhopal. The situation remains unchanged. As a matter of fact things have deteriorated. Com.Prakash Roy had to forgo his wages and coupled with that came his wife's opthalmic operation. One of the two comrades we had deputed at Jharandulli had to come back in search of some employment. The other one who is there goes with a scanty meal. Besides I had given you a fairly comprehensive idea about the other agit-prop work that we wanted to undertake. [illegible]. Then Hengenese field work. I hope you remember the details too well to need a repetation. Com.Daji has sent Rs.50/- about a week ago. But we want the entire amount in a single instalment.

..en only it will be helpful for our work. Else there is lot of waste and lack of planning of work. This time after my vist we have decided to expand the area of our work in that field. Kindly let me hear from you regarding the final decision irrespect -tive of the date of your visit. Two of our comrades with theoir families have come to a cracking ~~positi~~ position. W have got to move quick into the matter an and I cannot possibly do this at a stage where you and Com.Daji are involved. Kindly therefore, let me have your reply per return post.

As for the date of your visit, please suit it to the convinience of Com.Daji and also if possible Com.B.N.Mukherji. I shall xxx immensely "favoured if you could give me atleast a week's prior intimation if not more, to enable me to make adjustments with the xxxxxxxx programmes of tours and visits to the mines. As you know I have to be constantly moving. Hence the request. I am sending a copy of this letter to Com.Daji. Immediately I am engagd for 2nd. Ballrpur, 7th. Kodegann, 9th. and 10th. April Parasia and 16th.&17th. April Chanda, Ghugus Mines. The later dates can be chnaged if you so desire and xxx also think it necessary for me to go to Philai.

As for the date of your vist to Bhiali, please send a direct intimation to Com. Ganga Choubey Raigapara, Durg (M.P.) along with copies to me and Roy.

Hope you will be good enough to send an early reply. With best of greetings,

Yours Fraternally

Sanyal

Copy to: 1) Com.Daji, Indore
2) Com.P.Roy, Rajnandgaon.

No.272/K/60
April 8, 1960

Dear Com.Roy,

As I have intimated you earlier, because of the Textile Industrial Committee meeting of our comrades at Lonavala on 14th, 15th, it will not be possible for me and Com.B.N.Mukerjee to come to Bhilai on 13th as suggested by Daji. I wonder if Daji is not attending the meeting. However, if he comes you go ahead. May be, on my way back from Bombay, I may come there. I will inform you in that case.

As regards financial aid, I had sent cheque for Rs.150, our quota, to Com.Daji. For April also, it has been sent and you can be sure of May also. I have written to Com.Daji about your position. Please let me know the position after discussion with him after 13th inst. I fully agree with you that this provision should be pucca.

I learn from papers that about 25 to 30 thousand construction workers there are going to be declared surplus in this year and the Government has up till now not been able to do anything concrete about this. Please keep a watch on this situation. At Bombay I was informed by Shri Deven Sen, President HMS, and Rajender Singh, M.P. (PSP) that they were visiting Bhilai on their way back. Let us have report on that.

I have not yet received the memo as mentioned by Com.Sanyal. I think it is on way.

Go ahead with the work.

Since my return from Bhopal, I have been mostly on my legs. However, I am determined that we should keep close liaison and will visit Bhilai at the earliest.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Srivastava)

Com.Prakash Roy,
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh,
RAJNANDGAON, M.P.

Copy to: Com.S.K.Sanyal,
Nagpur

THE NEW SKETCH

Monday May 9, 1960 VOL.XX NO. 28

RECRUDESCENCE OF VIOLENCE

In our last issue dated May 2, 1960 we reproduced a report which had been sent us for publication by Sri R.N.Tewari,General Secretary, Colliery Mazdur Sabha, G.T.Road, Asansol. According to the report, "over two thousand miners rallied to the call of the Colliery Mazdur Sabha, on April 24 to protest against the management-cum-police zulum on workers in the Raniganj coal belt." The meeting, said the report, had been held at JayKay Nagar under the presidentship of Shri Kalyan Roy, General Secretary, Indian Mine Workers Federation. Apart from the familiar charges against the owners and of breaking the union by bringing outsiders and in collusion with the police, the report casually referred to the alleged illegal activities of the East Nimcha management, to the Sabha's demand for immediate release of all workers arrested so far and also to "the growing lawlessness in the coal belt."

We published the above report in good faith. We did not know that behind this apparently innocent report of the familiar pattern lay the st story of the tragic incident at the said East Nimcha Colliery which on 18.4.60 had been the scene of an orgy of violence and lawlessness, and of atrocities committeed involving two alleged murders and several cases of grievous injuries on innocent workers. Subsequent to the publication of the said report in our issue of the last week, we have come into possession of some relevant facts covered by (1) what appears to be the First Information Report to the Raniganj police officer on the said tragic incident on April 18, (2) a memorial submitted to Government on the organised lawlessness by the said Communist union, the Colliery Mazdur Sabha, to paralyse the working of the collieries in the region including the East Nimcha Colliery and (3) a resolution passed by the Industry on "Lawlessness in the coalfields."

The Industry's Resolution gives a painful picture of the serious situation prevailing in this region. It says: "The Coal Industry is viewing with much concern the series of acts of violence, rowdyism and assault on colliery managers and other employees that have recently taken place at Belbaid, North Brook, Busserya, East Nimcha and several other collieries. As a result of such lawlessness in the coalfields, great panic is prevailing in the affected areas and normal work of the collieries is being greatly hamered. Labour agitators who are not colliery workers are openly preaching to yield to their demands. The representatives of the Industry, therefore, consider that unless strong measures are taken to put a stop to such violent activities of unscrupulous labour agitators, law and order would completely disappear from the coalfields, causing a serious setback to coal production and holding up industrial development of the country......."

The memorial submitted to the Government presumably on behalf of the owners of the East Nimcha colliery gives the history of this colliery from its start in 1951 up to the latest tragic developments. The colliery which started on a plot of about 600 bighas now comprises an area of about 6000 bighas by subsequent acquisitation and its production has been raised from 15,000 tons to about 20,000 tons per month having a production target of upto 40,000 tons per month during the Third Plan period. The coal produced is Selected B grade coal. From its start in 1951 up to the middle of 1959, the colliery had been running peacefully with a growing tempo of production. Then came the Colliery Mazdur Sabha

(affiliated to the AITUC) on the scene in the latter half of 1959 with some of their leaders, starting contacts with a section of the workers of the said colliery. They, as alleged, started preaching violence, lawlessness and terrorisation and a series of incidents took place. The residence of the manager was attacked with brick and brick-batted, the wagon loaders were instigated to go on allegedly illegal strike and there was actually a strike by underground trammers, miners and loaders, the Assistant Manager was manhandled, a mining Sirdar was abused and threatened, the Colliery's Group Labour Officer terrorised, the Colliery Labour Welfare Officer was threatened with shoe-beating, the Directors of the Colliery Company on usual inspection were not allowed to move from office and the Asst Manager kept confined for 6 hours until rescued by the police. The culminat on came on April 18 when a violent section of workers numbering more than 150 and armed with lethal weapons, at the instigation of some leaders of the colliery Mazdur Sabha attacked 21 miners of the Colliery fatally injuring 2 of them (who dies of their wounds) and causing grievous injuries to some of the others.

The First Information Report gives the following grahic picture of this part of the alleged incident: A group of persons numbering more than 150 armed with Lathis, Bhalas and brickbats started assaulting those persons who were to have gone down the mine. One of the Colliery chaprasis was attacked and seriously injured. The Attendance Clerk received "Bhala" injuries. The condition of two miners was precarious. One had received multiple puncture wounds. The other was found to have his belly ripped open and his intenstine had come out. His right hand was almost cut.

It is alleged that at Northbrook colliery, the manager was assaulted in February last by a group of workers who tried to push him down the pit, that at Belbaid Colliery the office staff were assaulted, the telephone lines were cut and there was complete lawlessness for some time, that at Chapui (7) colliery, the manager was kept confined in his office for severalhours and that acts of intimidation, terrorisation and violence were occurring almost everyday in the collieries in t is region where the said Communist Union has been trying to consolidate its hold and influence.

As mentioned in the memorial, after the series of incidents of intimidation and terrorisation committed in the last week of February, Sec. 144 Cr. P. C. in the East Nimcha colliery for a period of two months and while the order u/s 144 was still in force, the occurrences of April 1 and 18 took place. The memorial warns the authorities of the serious nature and the perils of a situation where the violent elements in the colliery and those leaders of the Colliery Mazdur Sabha coming from outside could dare openly disregard order u/s 144 and could encourage breach of the peace by constant provocation and instigation offered to their adherents among the workers whom they had succeded to win over and to convert to their cult of unmitigated violence and lawlessness. Following upon the tragic happenings at East Nimcha colliery on April 18 last, the police, it ap ears, made a numb r of arrests of the law-breakers and it is perhaps the release of these arrested workers which the so-called rally of workers under presidentship of Sri Kalyan Roy demanded unconditionally as stated earlier.

We very much regret to have to say that no mention was made of those unfortunate developments in East Nimcha Colliery on April 18 in the report of the rally which Sri R. N. Tewari, General Secretary of the Colliery Mazdur Sabha sent us for publication. As we have said, we published this report in good faith but we find now that by publishing the same we might have unwittingly misled the public and created a wrong impression on their mind. It is unfair to our readers to get such misleading reports published in our columns. The three authentic documents referred to above which we have come across give an entirely contrary picture of the situation in the Raniganj coal belt to what

Sri Tewari's report wanted us to accept. The facts are telling enough to show convincingly that in so far as violence, the boot is really on the other leg and that a reign of terror prevails in this coal belt due solely to the open defiance of law and direct action by some labour leaders who believe in the cult of violence.

We are distressed to find the recrudescence of such unrestrained violence and orgy of lawlessness among a section of so called unionised mining labour so soon after the last Safety Conference, the understanding reached on the basis of the joint memoranda submitted to the Union Labour Ministry by the two Associations of mine managers in November last and the introduction of the Code of Discipline and good behaviour. But we are not surprised. So long as the entry of outsiders is not completely banned from the executive of a union and the constant competitions of unions to win followers by their extravagant promises to extort ever new and higher wages and amenities from the employers irrespective of the latters' capacity is not curbed by allowing only one union for each unit of colliery, if not for the whole industry, it is practically impossible to have peace in the industry, violence in any form or shape has to be discouraged by inflicting the highest punishment under the law. Strikes were necessary when the Government had no responsibility for labour interests but doday these interests are meticulously protected, particularly of the industrial workers. Strikes and their even more pernicious development of "go slow", should therefore, be legally banned, the union sponsoring them losing its registration and the workers their employment. Peace in every industrial undertaking should be the Government's direct responsibility so that the managers and other staff members directly concerned with production may not constantly have to remain in mortal terror of being assaulted by their own refractory workers. To this purpose, law and order should be enforced by proceedings against the labour leaders who now take refuge behind the members. No bonus should be given (it is paid at the highest rate to coal miners) except on the basis of incentive to productivity, the profits of the employers being limited by taxation, including, if necessary, dividend limitation.

These progressive views have often been expressed by the saner and disinterested section of the country's leaders of thought but they were not accepted by the Government, far less applied in any sector of the industry. That all the efforts of the Government so far made to establish peace inthe industry have gone in vain is beyond doubt and is amply proved by this recrudescence of violence in the Raniganj coal belt as also sporadically in the Jharia fieldalso. The unprovoked assault on Mr. Nalini Mukherjee, the sernior and respected manager of Busserya colliery in the Jharia field (reported in one of our recent issues) and the series of violent and lawless acts committed in the Raniganj field ending with the grievous assaults and murders in the East Nimcha colliery have created an extremely panicky situation and feelings of utter disgust, despair and helplessness among the managers and supervisory staff of the collieries concerned which have already affected production and are likely to paralyse the industry partially unless the situaticon has been improved meanwhile by strong measures taken by the authorities.

The memorial submitted to the Government in relation to the developments in relation to the developments in East Nimcha colliery alleges that some irresponsible and mischievous labour leaders are visiting the colliery even after the tragic incidents on April 18 and are openly instigating the workers by saying that "they should noy at all be worried just because 2 murders had been committed" and that "more murders would follow andnothing wouold happen to them". It is incredible that any responsible labour leader --- whatever the political party he belongs to--- can instigate his followers, genrally illiterate and inflamable,--- to acts of violence and open defiance of law and although we find from the memorial that such

members do exist in the lead rship of our tradeunions, we have to take it with reservation. The memorial has drawn Government's urgent attention to ~~xxxx xx~~ the serious situation in the East Nimcha colliery and neighbouring collieries and has prayed that immediate action may be taken (a) to assure the management of full protection to their officers, staff and peace-loving workers of the colliery, (b) to ensure that the aforesaid violent section of the workers and the persons instigating them are deterred from taking law into their own hands and (c) to create conditions under which the managements may be in a position to run their colliery peacefully and thus fulfill the obligations cast upon them by achieving the target of coal output set for them under the Third Five-Year Plan. This prayer, by itself, speaks eloquently of the serious situation and the predicament in which the collieries in the Raniganj coal belt find themselves today and the least we can say is that if the Government wants coal production in increasing quantities in fulfilment of their target for the Third Plan, they have to give their serious attention to the prayers stated above. After all, the management of the East Nimcha colliery and other colliery managements in the neighbourhood are responsible coal companies and it will be a great blunder to ignore their reaction to the tragic developments in that area in the recent past and their earnest prayer for peaceful, tranquil and undisturbed climate which is the sine quo non for increasing coal production.

---

24 JUN 1960

संयुक्त खदान मजदूर संघ

Samyukt Khadan Mazdur Sangh

(Regd. No. 2550)

Affiliated to:—
ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Ref. No. ....

Dated 21st June 1960

To
Com. K.G. Shrivastava
Secy. A.I.T.U.C
4. Asoke Road
New-Delhi

Dear Comrade,

Before I had left for P.T.U.C. Conference I wrote you a letter and also expected that in the Conference we will meet again. But you could not come nor Com. Vittal Rao came, so I am sending you reports of the mines section of the Conference.

You will be glad to know that our new Union "SAMYUKTA KHADAN MAZDUR SANGH" for Madhya Pradesh State, for which we had sent papers for registration, was registered by the Registrar of Trade Unions on 3rd June 1960 and the number is 412.

Conf:- In all respect the P.T.U.C Conference was very successful. It was well represented by all trades. The mines section was represented by the following mines :-

1. Coal	— Burhar Colliery	—	6	delegates	attended.
	— Rungta "	—	2	"	"
	— Pali "	—	3	"	"
2. Iron Mines B.S.P.	— Dalli-Rajhara	—	5	"	"
3. Manganese	— Chikmara Mines	—	1	"	"
	— Panniya "	—	3	"	"
	— Tirodi "	—	5	"	"
	— Bharweli "	—	2	"	"
	— Lalwara "	—	2	"	"

Coal belt

Immediate main slogans for Coal belt which were decided — Rewa Award should be implemented. [Struggle on this basis, as it is expected, will influence the whole Chhindwara Coal belt. Because of betrayal, the I.N.T.U.C position has become weak. Many important Caders of the I.N.T.U.C Union either Came out of it or have been Coming out and joining red flag Union.]

— Stop Gorakhpuri recruitment ~~and~~ Local labours and relatives of the employees be given opportunity where there is any vacancy.

— Light work should be given to the workers who are old and physically weak! And they should not be turned out of the quarters on the ground of temporary disability or illness. (At present workers are asked to vacate ~~quarters~~ within 24 Hrs.)

Iron Mines + Lime Stone under the B.S.P

— Immediate ~~attendance~~ grant of attendance Bonus, particularly to the Raising workers who have been working under M/s Jyoti Brothers, since 2½ years. (Rajhara Mines B.S.P)

— Garantee of employment to the workers and employees, who have been working

संयुक्त खदान मजदूर संघ

Samyukt Khadan Mazdur Sangh

(Regd. No. 2550)

Affiliated to:—
ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Ref. No. ....

Dated 19

of some leading Comrades, organisational problems facing the Balaghat branch and the following decisions were taken:-

- To reagularise the functing of Branch Comittees on District basis
- Quarterly check up and up-to-date membership registrar and accounts of the Union,
- Monthly account (collections and expences) be submitted by each responsible organisor and if it does not come forth, Ex-Comittee to take decision and the report of non-implementation be ~~go~~ be submitted to P.T.U.C Secretary.
- Absence in 3 meetings by a executive member will forfit his right of membership from the Ex-Comittee.
- Com. S.D. Mukherjee to stay at Balaghat
- Com. Krishna Modi's main responsibility in Balaghat area - under Dada's (S.D. Mukherjee) guidence.
- Prov. executive Meeting of the "Sangh" once in two months. and Branch Comittee Meetings once in a month.
- To be very rigid about accout but having sympathitic attitude towards the

oblems of individual Comrades.

A new branch of the Union was recognised at Birsinghpur Pali Coal Mines Union:

I expect, that Com. Sanyal has also written you in details. I only give you a picture concerning major points.

• Recently at Bhilai a office has been taken. Com. B.N. has not reached as yet.

: ~~Sending a copy of the Constitution of the Union and~~ list of office bearers and executive members.

Please acknowledge Rept when you write.

With greetings.

P.S. Constitution will be sent in my next despatch.

Yours

Prakash Roy

SCHEDULE 'I'

LIST OF OFFICE BEARERS AND MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE.

Name of the Trade Union:-SAMYUKTA KHADAN MAZDUR SANGH.

S.No.	Name.	Age	Address	Occuptatio.
1.	President-Shri S.D.Mukherjee, Pleader, s/o.Shri N.L. Mukherjee.	46Yrs.	Shrinath Taliya, Jabalpur.	Trade-Union-Worker.
2.	Working-President. Shri Krishna Modi s/o.Bhagwandas Modi.	28 Yrs.	Samyukta Khadan Mazdur Sangh-Office-Waraseone	....do...
3.	Vice-President:-Dr.David Jon.	30 Yrs.	Bharwali-Balaghat-Distt.	Medical-Practitioner.
4.	Vice-President:-Sukhdeo s/o Kolwa (Bijeram).	30 Yrs.	P.O.Dalli-Harra, Distt.Durg.	Allahabad Co., Rajhara Mine's Worker.
5.	General-Secretary. S.K.Sanyal s/o S.N. Sanyal.	32yrs.	Tilak Statue, Mahal-Nagpur.	Trade-Union-Worker.
6.	Secretary-Prakash Ray s/o Biren-Ray.	41yrs.	Chikhli, Rajnandgaon... Distt.Durg.	do...
7.	Secretary-Nutaneshwar Khobragade.	23 yrs.	Tirodi-Balaghat.	.....do...
8.	Treasurer. Arjun Shyamkar s/o.	34 yrs.	Station-Para. Rajnandgaon.	....do....
9.	Executive-Members. Suklal s/o Sarfu.	40 yrs.	Vill.Sonamain P.O.Rupzhar, Distt.Balaghat.	Mine-worjer, Pacific-Mines at Langur.
10.	...do... Bhikhulal s/o Mahaveer.	35yrs.	...do...	...do....

Cont'd....

S.No.	Name.	Age.	Address.	Occupation.
Executive-Member.				
19.	Shyamrao s/o Bala	30 Yrs.	Selwa of Balaghat.	Mine-Worker Gopikrishna-Mine's Selwa-Balaghat.
20.	Mannulal s/o Fagu..	35 yrs.	Paunia Mine-Balaghat.	...do...
21.	Girma s/o Gulba.	40 yrs.	Gudrughat Mine Balaghat.	Mine-Worker, Gudrughat at Isarka-Balaghat.
22.	Jagat s/o Manbodh.	30yrs.	Selwa Mine at Balaghat.	Mine-Worker Selwa-Mines of M/S.Nathani Bro Balaghat.
23.	Bhangi s/o Fagu.	40 yrs.	Chikmara Mines. Balaghat.	Mine-Worker of H.M.M.Co.Balaghat
24.	Samaroo s/o Milau.	38 yrs.	Chilli Camp of M/S.Jyoti Bros. Dulli-Rajharra, Distt.Durg.	Mine-Worker, Chikhli-Rajharra Mines,B.S.P.
25.	Chinsingh s/i Suner.	40 yrs.	.....do....	...do....
26.	Subedar s/o Amarsingh...	34 yrs.	.....do....	...do....
27.	Suritram s/o Johrit.	36 yrs.	.....do.....	...do....
28.	Ramjee s/o Samaru.	32 yrs.	....do....	...do....
29.	Uderam s/o Hiru..	35 yrs.	....do....	...do....
30.	Sheolal s/o Bisram.	34 yrs.	Damside Camp-Dulli-Rajharra, Distt.Durg.	Mine-Worker, Allahabad Co., Rajharra-Mine, B.S.P.
31.	Santosh Kumar Dutt s/o Gayanendra Mohan Dutt.	28 yrs.	Dulli-Rajharra Distt.Durg.	Mechanical-Helper,Rajharra Mines(B.S.P.). (Victimised.)
32.	Dr. Manik Chand Tiwari.	43 yrs.	Chandameta, Parasia.	Trade-Union-Worker. Medical-Practitioner-Chanda-Meta.
33.	Jagdish Chandra s/o Ramkrishna Singh.	35 yrs.	Bhamdi Colliery Parasia.	Driver-Bhamdi-Colliery,Parasia
34.	Rama Raddy.	40 yrs.	Ambara Colliery, Parasia.	Coal-Cutter, Ambara-Colliery Parasia.
35.	Ram Nagina Mali.	25 yrs.	Chikhli-Colliery Parasia.	Electrician, East-Chikhli-ColliereyParasia
36.	Ganga-Chaube.	48 yrs.	Baigapara,Durg.	Trade-Union.
37.	Soma s/o Toria..	30 yrs.	Byramjee Co. P.O.Bharweli-Distt.Balaghat.	Mine-Worker, Byramjee-Co., Bharweli-Distt. Balaghat.

...

July 2, 1960

Dear Com.Prakash Roy,

Thanks for your letter of 21st June.

I am really sorry for missing the conference.

Com.Sanyal has not yet written to me. But this report gives the gist.

I amx sorry just now I cannot write to you in details. Will take next opportunity.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)

272

Andhra Pradesh Mica Workers Union (Regd)

GUDUR, Nellore District, Andhra Pradesh.

To

~~Sri~~ The Editor,

"Trade Union Record"

New Delhi

Sir,

Sub:- **Resolutions of the Fourth Andhra Pradesh Mica Workers Conference held on 15-5-60.**

I have the honour to inform you that the following resolutions have been passed by the Fourth Andhra Pradesh Mica Workers Conference held at Chennur, Gudur Taluk, Nellore District (A. P.) on 15-5-60 under the presidency of Prof. P. C. Reddy, M.A., LL.B., F.R.E.S., and to request you to take necessary action regarding the same.

GUDUR,
~~D/ 16-5-60~~
3 · 9 · 60

Yours faithfully,
(Sd.) C. C. SUBBAIAH.

RESOLUTIONS

1. This Conference resolves to express its gratitude to the Government of India for having extended the Employees Provident Fund Act to the mica Industry and thereby helping mica workers to secure the benefits of the scheme and calls upon the concerned authorities to see that the provisions of the Act are not in any way circumvented by the managements.

2. This conference resolves to express its sincere appreciation of the beneficent activities of the Mica Mines Labour Welfare Fund Committee, Nellore, and thankfulness for the Welfare Schemes executed by the Fund Advisory Committee, and requests the Govt. of Andhra Pradesh & the Ministry of Labour, Govt. of India, to shift the office of the Welfare Fund to Kalichedu, centre of the mica mining belt and the leading centre of Welfare Institutions and appoint a whole time Secretary either on contract basis or permanently in the interests of greater efficiency, economy, convenience etc., without being entrusted with the revenue work of the State Government as is being done at present.

3. This conference desires to express its sense of disappointment regarding the inordinate delay in the disposal of the applications for compensation pending before the Workmens Compensation Commissioner. Large number of "SILICOSIS" cases are being kept pending for a long time on account of the delay in forming a Medical Board on a state level under the Hyderabad Silicosis Rules 1952. Several applicants died on account of lack of money for purchase of diet and medicines. Their families are undergoing great distress. The Medical Board should be immediately constituted. The pending cases should be disposed off by appointing a Special Commissioner for the said purpose. This conference appeals to the Government of India, the Government of Andhra Pradesh, the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee and the mine managements to treat the problem of Silicosis from the humanitarian point of view also and act promptly and liberally, for human capital which is the most precious of all can never cost too much.

4. This conference resolves to request the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee to give a lump sum grant of Rs. 100/- and a monthly grant of Rs. 15/- to the victims of Silicosis and to the dependents of the deceased and thus save precious lives and render help to the dependents. Specialised treatment may be provided for Silicosis patients in the Welfare Dispensaries and Hospitals and separate Registers may be opened for such cases.

5. This conference calls upon the Govt. of India and the Government of Andhra Pradesh to suitably amend Sec. 13 of the Minimum Wages Act and Rule 23 of the Minimum Wages Rules respectively so as to remove the existing vagueness regarding weekly day of rest and payment of wages and make unambiguous provision for the payment of wages for the weekly day of rest.

6. This conference urges upon the Governments to take early steps for meeting the requirements of machines, equipment, tools and energy to the mica mines and thus help to increase production of minerals and foreign exchange. This conference further requests the Govt. to supply on rent to the mine owners heavy drilling machinery for conducting prospecting operations and thus help to introduce scientific system of prospecting and eliminate highly risky speculation in the mica mining industry.

7. This conference desires to express its sympathy to the large number of middle class families ruined in the mica exporting trade on account of the unexpected and sudden stoppage of demand since 1951 for the huge stocks of mica splittings already manufactured according to the then prevailing standards and reiterates its old demand that financial aid should be given to them by payment of at least 25% of the face value of the said goods and thus save them from bankruptcy and insolvency.

8. This conference desires to invite the attention of the Planning Commission, the National Development Council, the Council of Industrial Development and Scientific Research, the Ministries of Industries, Commerce, Scientific Research and the National Laboratories and Research Institutes about the urgent need for researches on the several industrial uses of mica and calls upon the Government of India to establish a Mica Research Institute at Gudur in Andhra Pradesh with a capital outlay of Rs. 2/- lakhs.

9. The Minimum wages in the mica industry have been first introduced in Madras G. O. M. S. No. 1054 dated 13-3-1952. The revised rates of minimum wages have been published in Andhra Pradesh Gazette dated 24-9-59 in G. O. Home (Labour II) No. 2067/59 dated 9-9-59, inviting objections and suggestions thereon. In view of the long lapse of time since the first fixation of minimum wages, the steep rise in the cost of living, the increase in the prices of mica goods, this conference urges upon the Govt. of Andhra Pradesh to enforce forthwith the revised minimum wages with retrospective effect from 1-4-1959 by making the necessary notification therefor.

10. This conference resolves to request the Government of India, the State Government, the Planning Commission and the National Development Council to establish a Micanite Factory at Kalichedu or Sydapuram or Gudur in the Nellore District for the pulverization of mica scrap and manufacture of micanite. Mica scrap is being exported to foreign countries and the prices paid are unbelievably low. A strategic mineral in which India is having a monopoly is being drained and depleted & bartered away for the lowest rates instead of being conserved and sent as finished goods at proper prices. Hence this conference reiterates its old demand that a ban should be imposed atonce on the export of mica scrap without giving any weight to the interested and false propaganda of the scrap exporters that such ban would result in large scale unemployment.

11. This conference resolves to request the Labour Ministry of the Govt of India to immediately refer the industrial dispute between the employees of the Seetharama Mica Mine and the management of the said mine for adjudication by a Tribunal since the conciliation proceedings pending from April 1958 have failed.

12. This conference urges upon the Government of India to raise the rate of the Mica export duty to 4½% since the funds at the disposal of the

Welfare Fund are not adequate for the enlarged and comprehensive social, cultural and developmental activities of the Committee.

13. This conference resolves to request the concerned authorities to see that the weekly Batwadas (wage bills) of daily-rated employees are paid without fail on every Saturday. As delays in the payment of wages are resulting in losses and hardships to the employees who are forced to borrow loans at exhorbitant rates of interest, the authorities are requested not to grant extension of time for payment of wages.

14. This conference desires to invite the attention of the Mica Marketing Board, the Exports Promotion Council and the Commerce Ministry regarding the harm done to our mica exporting trade and the loss of our national prestige consequent on some of our exporters accepting the system of export on consignment basis instead of the order basis and hence urges upon the concerned authorities to regulate the trade in the interests of the country and the industry by prohibiting such a derogatory and unprofitable system.

15. The conference while appreciating the good work turned out by the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, desires to emphasise the urgent need for providing residential quarters with the required amenities for all the members of the staff especially the Medical Officers, the Welfare Inspectors, the Compounders, Ward-boys, Mid-wives, Teachers and Instructors in the interests of the regularity, efficiency and stability of the service-personnel.

16. This conference is of the opinion that Rest Houses at Kalichedu and Sydapuram for accommodating the inspecting officers, educationists, technical experts, members of legislatures, the officers of the Fund and others interested in the progress of the mica industry and the welfare of the employees, are a dire necessity and urges upon the Labour Ministry of the Government of India, the State Government and the Mica Mines Labour Welfare Fund Committee to take early steps for providing rest houses at Kalichedu and Sydapuram & Clubs for mica employees at Kalichedu and Sydapuram.

17. This conference resolves to request the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee to run on quasi business cum welfare lines, Cheap Stores at Sydapuram, Vutukur, Kalichedu, Talupur and Tadiparti for the benefit of mica labourers, who are now paying higher prices for their requirement of groceries.

18 This conference urges upon the Mica Welfare Committee to establish a Dispensary at Vutukur, a Dispensary between Palamani and Nithyakalyani mines, another near Tadiparti before disbanding the Mobile Medical Unit of the Fund.

19. This conference reiterates the urgent need for the prevention of "Silicosis" among miners by the provision of quarterly X-Ray examination of all underground workmen and factory employees, the supply of protective equipment for the face, the supply of drugs and diet to make good the deficiencies of the body and the grant of financial assistance and special medical aid, promptly and adequately. The Mica Mines Labour Welfare Fund Committee is requested to ful-fill this noble task and arduous responsibility as far as it can, for, at present, there is no agency which is more competent than the Fund Committee to undertake this welfare work on sound administrative lines. This conference appeals to the humanitarian organisations of the world to extend their help and assistance to the Mica Labour Welfare Fund in dealing with the preventive and curative aspects of "Silicosis", the deadliest of mine diseases.

20. This conference requests the Government of India to introduce necessary legislation or amend the Mines Act for making provision for the grant of sick leave to the mine employees and to clarify the ambiguity in Sec. 51 of the Mines Act and the Rules connected therewith regarding the eligibility for grant of annual leave with wages, as different interpretations appear to be possible under Sec. 51 of the Mines Act and the relevant Rules pertaining to leaves.

21. An attendance bonus of 1 days wages for every 24 days of work is being paid to the mica employees. No production or profit bonus is being paid at all except to the managerial categories of services. The profit sharing-system or the Labour-participation system is not in vogue. The conference therefore resolves to request the Governments and the managements to see that three months wages are paid as bonus by all the profit-earning undertakings in the mica industry.

22. The conference while recording its appreciation of the educational facilities that are being provided to the children of mica employees by the Mica Welfare Fund, requests the Advisory Committee and the Ministry of Labour, to give priority in the matter of appointments under the Welfare Fund to the candidates belonging to mica labour families and thus encourage them and pave the way for their cultural, social and economic progress and for the advancement of this backward strata of society.

23. This conference places on record its disappointment regarding the inordinate delays in the disposal of cases under the Workmens Compensation Act and the long delay made by the authorities to recover the decretal amounts under the Madras Revenue Recovery Act and calls upon the Govt. of India to suitably amend the Workmens Compensation Act making provision for deposit by the management of the compensation amount with the Commissioner within 30 days after the accident and for vesting the officers of the Labour and Factories department with the necessary powers to enforce the decrees by attachment and sale of the properties of the judgment debtor.

24. This conference while thanking the Govt. of India for its Industrial Housing Schemes, expresses its disapprobation of and disappointment at the attitude of the mica employers and other industrialists in not utilising the benefit of such matching grants and requests the Labour Ministry to enforce the Housing Scheme for mica employees enunciated by Shri Jagjeevan Ram, the then Minister of Labour.

25. This conference desires to bring to the notice of the Govt. of India, and the Govt. of Andhra Pradesh, the fact that the unemployment situation in the mica mining area is becoming more and more acute and hence suggest the following measures to relieve the same and to help the development of the mining zone: (a) establishment of micanite industry by the State with a capital outlay of Rs. 25/- lakhs (b) starting of community craft centres by the Mica Welfare Fund (c) State taking over the unworked mica yielding plots and auctioning lease-hold rights or holding out-right sale of the same on condition of resumption of work (d) laying roads in the interior parts of the mining zone by the State and Union Governments on the proposal made by the Mica Welfare Committee (e) starting of a Mine Equipment Repair Workshop cum Foundry in the mining area to give training and to undertake repairs of machinery and tools (f) opening suitable cottage industries by the State Government (g) execution of the Multi-purpose Somasila River Project which would convert vast arid tracts into golden paddy fields (h) starting a cement factory at Gudur as a state enterprize.

26. The conference expresses its great dissatisfaction regarding the long delay in the disposal of conciliation proceedings under the Industrial Disputes Act possibly on account of in adequate number of officers to deal with the situations and suggests the posting of a Conciliation Officer at Gudur or in the alternative to vest the Labour Inspector (Central) Gudur with powers to undertake conciliation proceedings.

27. This conference desires to emphasise the advantages of locating the offices of the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, the office of the Regional Inspector (Central), the Mica Officer, the Underground Surveyor for Mines, at or near Kalichedu, Rapur Taluk, the centre of mica mining zone, where electricity is available and telephones are going to be installed, and number of welfare institutions are growing up, and requests the Government of India and the Govt. of Andhra Pradesh to take early steps for shifting the said offices in the interests of efficiency, economy, convenience etc.

Printed at Jayalakshmi - Gudur

(272)

दिनांक: २५ नवम्बर, १९६०.

प्रिय श्री मोदी जी,

आपका दिनांक २३-११-६० का पत्र प्राप्त हुवा।

इण्डस्ट्रियल मिनरल ऐसोसिएशन के जिस वक्तव्य का जिक्र आपने अपने उक्त पत्र में किया है, कृपया उसकी कटिंग हमारे पास शीघ्र भेजने का कष्ट करें। साथ में बन्द होने वाली खदानों की लिस्ट भी विस्तृत विवरण के साथ भेजें।

इस संबंध में मैंने 'इण्डस्ट्रियल कमेटी आन माइन्स' की बैठक बुलाने के लिये भी लिखा है। इस बैठक में यह विषय लिये जाने की सम्भावना है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा, आपको सूचित किया जायगा। आप भी हमारे पास तमाम विवरण बराबर भेजते रहें ताकि मैं भी स्थिति से पूरी तरह अवगत रह सकूं।

साभिवादन।

आपका साथी,

। के० जी० श्रीवास्तव ।
मन्त्री

सेवा में:-
श्री कृष्णा मोदी,
वारासिवनी,
मध्यप्रदेश।

25 NOV 1960

वारासिवनी
२३।११।६०

प्रिय डा० श्रीवास्तव,

अभी पिछले १८ नवम्बर को लोकसभा में खदान मंत्री केशवदेव मालवीय ने यह बयान दिया है कि मध्यप्रदेश के अन्दर सितम्बर ६० तक कुल ४ खदाने बन्द होगई हैं। मुझे समाचार पत्रों में उपरोक्त समाचार पढ़ने से काफी आश्चर्य लगा क्योंकि अभी तक बालाघाट जिले में सन ५८ से सन ६० तक ~~[illegible]~~ ५० खदाने बन्द हो चुकी हैं। और एसी २०-२५ खदाने हैं जहां सिर्फ १-२ मजदूर काम करते हैं उनकी हाजरी बताकर सरकार को यह बताया गया है कि खदान चालू है।

साथ ही दूसरी बात मंत्री महोदय ने अपने बयान में ~~लिखा~~ दिया था कि खदाने बन्द होने का कारण कम परसेन्ट का मेंगनीज खदान से निकलना, यह भी उनका कहना गलत है क्यों कम परसेन्ट मेंगनीज की वजह से सिर्फ १ या दो खदाने ही बन्द होगई हैं।

~~खदान का नाम — मालिक~~ का नाम.

खदान बन्द होने की पूर्ण लिस्ट आपको आगे पत्र में दे रहे हैं। खदान बन्द होने की वजह से करीब १२-१५ हजार कामगार बेकार हुये हैं।

खदान बन्द होने के सम्बन्ध में इण्डस्ट्रीज मिनरल असोसियेशन की ओर से भी ता० २१ को एक बयान दिया गया है और २२ ता० के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उसमें भी यह स्पष्ट किया है कि खदान बन्द होने के सम्बन्ध में १८ नवम्बर को मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है वह गलत है खदाने ज्यादा बन्द हुई हैं। बयान नागपुर के समाचार पत्रों में निकला है। मैं आपको यहां भी खदान बन्द होने वाली लिस्ट के साथ भेज रहा हूं। बाकी सब ठीक है।

धन्यवाद.

आपका
कृष्णा मोदी

NEYVELI LIGNITE CORPORATION LIMITED
: Office of the Managing Director :

Telegrams: CHEXOLIN
Telephone: 84425, 84426 &
84746.

Registered Office:
151, Lloyds Road, Royapettah,
Post Box No. 653, Madras--14.

No. 6270 BI/59-11

Dated the 17th December 1959
Agrahayana 26, 1881 (SAKA)

To

Shri Shripad Amrit Dange, M.P.
No. 4, Asoka Road,
New Delhi.

Sir,

Sub: ANNUAL REPORTS of company-managed Government Undertakings - Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited for the year ended 31-3-1959 - Copy furnished.

****

I enclose a copy of the Third Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited, a Government of

(PTO)

India Undertaking under the Ministry of Steel, Mines & Fuel for the period ended 31-3-1959 as approved by the General Body at its meeting held on 15--12--1959.

Yours faithfully,
for Neyveli Lignite Corporation Ltd.,

(K.S. RAJAGOPALAN)
FOR MANAGING DIRECTOR.

Encl: 1.

ESPathy/

Bihar Koyla Mazdoor Sabha.
THE INDIAN
MINE WORKERS' FEDERATION,
H. O. DHANBAD.

272

Dated, the 27th December, 1960.

To
Sri G.L.Nanda,
Hon'bl' Minister of Labour & Employment,
Government of India, New Delhi.

Sub: Some facts about the breaches of awards, laws, and code of discipline by the employer of East Bastacolla Colliery, PO. Dhansar, Dist. Dhanbad.

.....

Sir,

Being encouraged by the assurances that you have been pleased to accord to the delegation of the All India Trade Union Congress , who met you recently to discuss the situation in the coal industry, I am placing before your high office some facts about the situation in East Bastacolla Colliery. I hope that you will find time to go through this representation and take actions that you might deem fit and proper under the circumstances.

The colliery abovenamed is bei-ng managed and directed by Sri Banwari Lall Agarwalla who must be well known to your Ministry because of the fact that it was under his direct management, the twenty-two unfortunate miners lost their lives by drowning, in Central Bhowra Colliery disaster/ in 1958.

1. The employer is not paying lead allowance to the miners of 4 incline since 15.12.59/in accordance with the award till to this date.

2. The employer has not paid the pushing allowance to the miners of 1 incline since 15.12.59 till to this date in violation of the award.

3. The employer has not paid minimum guranteed wages/& the variavle D.A according to para 152/& 74 of the Labour Appellate Tribunal award from 15.12.59 to this date.

The complaints were filed on these accounts before the Regional Labour Commissioner(C) Dhanbad on 19.12.59 and several, on the spot investigations, have been made by the Labour Inspector(C)Kirkend. It has been learnt that the complaints were found to be substantially true, and the employer was directed to rectify the irregularities. The employer has not taken any heed of the instructions of the Government uptil now.

The union requested the Regional Labour Commissioner(C) Dhanbad to prosecute the management under sec.29 of the Industrial Disputes Act for violating the awards in its letter dated 18.4.6_ and repeated the request several times subsequently. It appears that no prosecution has been undertaken against the employer by the Government though the violations are continuing for more than a year. Finding no other alternative the workers themselves prosecuted the employer under the Payment of Wages Act before the Labour Court, Ranchi, where the proceedings are still pending.

Presumably, encouraged by this unusual slowness of the Govt. machinery in taking legal action against the employer, the employer started further violations in the following manner.

4. The employer has not paid the annual increment to the timerated workers which has fallen due on 1.6.6_ according to Sri A. Das.Gupta's Arbitration award, on which the complaint has been filed before the R.L.C, Dhanbad on 19.12.6_.

5. The employer has not paid the railway fare to the entitled workers for the leave availed in 196_, and the complaint on the same has been filed before the R.L.C, Dhanbad on 19.7.6_.

6. The employer has not given effect to the amended provisions of Mines Act for annual leave with wages for the leave availed in 196_.

7. The employer has not implemented the terms of agreement in the settlement dated 23.4.6_ in the case of Sri Kapur Ram, Minign Sirdar and an application under sec.33-C had to be filed under the instruction of the Govt.

8. The employer has not paid bonus for quarter ending 30.9.6_ the last date for the payment of which has expired on 30.11.6_.

In the face of these continued deprivations of their legal dues the workmen were compelled to take steps for filing applications before the Government under sec. 33-C of the I.D.Act for the recovery of their unpaid dues. Accordingly, they served notices of demand as required under the amended rule 62 of the I.D.Central Rules on the employer on 17.12.6_ demanding the payment of their dues for the period from 1.6.6_ to 15.11.6_.

Immediately on receipt of the demand notices on 19.12.60 the employer trasfered the service of Baldeo Bhuia, Trammer, to another colliery whihc has been lying closed, being full of water, since last three years; and is not possible to be restarted in another two years. He also retrenched a senior miner named Sattar Mia while the/ new miners were recruited in the same week and the preceding week. Both these notices were issued on 20.12.60 and theywere stopped from work. It is understood that they were first singled out because they took the notices from the union office/ and asked the workers to put thumb impression on the same.

Being not satisfied with this the employer has stopped another eleven trammers from duty on and from 26.12.60 without any written order and is compelling the other timerated workers to do the tramming job. Almost all these trammers have signed the demand notice dated 17.12.60. It h-as been reported by the workers that the employer during his later visit in the colliery has openly threatened that he will drive out all those wo committed the crime of signing the demand notices.

The union has raised industrial disputes on these matters before the Conciliation Officer (C) Dhanbad-II on 22.12.60 and 26.12.60 , respectively. It has also filed a complaint before the Evaluation & Implementation Division of your Ministry on account of this breach of the Code of Disciplin 23.12. 60.

It is now clear to the workers that the employer is trying to intimidate the workers in order to prevent them from pursuing their legal claims before the Government and the Courts of law. And in doing so, he is also provoking unrest in the colliery by gross unfair practices and provocative utterences. It is apprehended that the/ employer is now interested in disturbing the condition in the colliery as this seems to be the only way/open to him to get rid of the workers, who want their legal dues, through such disturbances.

The union is functioning in this colliery since the beginning of 1959 and in these two years there has not been a single instance of violence or criminal proceeding. The union did not held any demonstsation, and held not more than two meetings only in the last two years in order to keep in control the resenthent of the workers suffering gross deprivations. And now the employer himself is creating provocations for releasing the disturbing forces.

The unions knows that in any disturbance or stoppage it is the workers who have to suffer most. And that is why the union/ has employed both persuasion and pressure on its members to maintain complete peace in the colliery. And if the employer now choose to provoke unrest how long will it be possible for the workers or the union taxmx to avoid unrest without surrendering to the will of the employer? But this will not be the end of it. You must be well aware Sir, that submission under such circumstances xkkxx is bound to lead to bigger and deeper unrest in the future, and with kigxxx greater consequences.

The union has thought it necessary to infringe upon your precious time because it is faced with two perilous alternatives. One is to lead the workers into an abject submission before the worst of the employers,an the other is to pkxngxxthemxinxx face the employer' xxmaxxkmxtkxmxx machinations back to the wall, come what may. The implications of both are well known to you. Being faced with such a situation the union requests youto intervene immediately,and effectively. The union will continue its effort to maintain the peaceful condition as long as possible, and for the rest, will remain with the workers as best as it can.

Yours faithfully,

Prasanta Barman

General Secretary.

27/12

Copy forwarded to
The Genl. Secy, A.I.T.U.C.
for information & necessary action.

SAMYUKTA KHADAN MAZDOOR SANGH

Phones: 4417 (Office)
Nagpur 3875 (Resi)

H.O. Bharkapara,
Rajnandgaon (M.P.)
&
Tilak Statue,
NAGPUR - 2, (Maharashtra).

27th December, 1960
28th Decem.

To

The Chief Labour Commissioner,
Government of India,
Ministry of Labour,
Cam: Tumsar, Nagpur.

Sub: Memorandum on the main problems of the workers engaged in the Mining Industry of Madhya Pradesh and Maharashtra.

Sir,

We have pleasure in welcoming you on your visit to the few mines you have chosen, of manganese and coal of Madhya Pradesh and Maharashtra. It is not a formal expression when we recall that such a visit by a Chief Labour Commissioner of the Government of India is taking place to these areas a period of six years.

We avail this opportunity of apprising you with some of the salient and not all, problems of the mine workers of Madhya Pradesh and Maharashtra. Our purpose is not to give a detailed account of those labour problems or even an exhaustive list of them, many of which engage or are likely to engage the attention of the officials of your department, stationed at Jabalpur and Nagpur.

I. MANGANESE MINES

During the period of last seven years, the Manganese industry has passed thrice each through an intermittant period of boom and recession of superprofits coupled with the shrinkage of market at times. The latter have been termed as Crisis by the manganese mine owners, who have attempted to solve them at the cost of workers on one hand and snatching concessions from the Government on the other. The workers wages have been freezed by denying them a minimum average wage, bonus, sickness allowance etc.

ness allowance, cheap grain, effecting closures and ~~t~~retrenchment and the like. The Government have given them relief in Railway freights, Royalties etc.

Ever since the Bindra Award, fixing minimum wages, quarterly attendance bonus, house-rent, grain allowance, in 1955, was set aside due to some legal technicalities, the employers of the manganese mines of Madhya Pradesh and Maharashtra have taken shelter in the precincts of one court or the other on flimsy pretexrs to deny the most elemeentary working and living conditions to the workers for a maximum length of time. Over and above, largescale retrenchment and frequent closures have come to the lot of workers engaged in the managanese mines of these states. To cite a few instances, it will suffice to had a complement or about 1700 and 1300 workmen in 1957 and 1958 June respectively and to-day there are only about 40 workers. In the case of M/s Hindusthan Manganese Mines Co. at Tirodi (M.P.) from a strength of about 2200 workmen in 1957 and 1958. They have reduced it to about 350, at the present moment. It has certainly seen the closing down of many mushrrooms growths that had taken place in the period of boom in 1953-54 and 1957, when even low quality ore had a good market.

Notwithstanding, therefore, the fate of the old reference hanging fire for more than last five yeanrs, we would urge upon the Government of India to take initiative in granting the following minimum conditions to ensure a smooth and secured working condition as well as living for the workers working in the manganese mines under the various mine owners.

1) Wage Board: It is high time that a Wage Board is set uup for these workers, including those who are working under the C.P.M.C. (Central Provinces Manganese Ore) Company, incorporated in England, and the single biggest employer, controlling nearly two-third of the industry. Inspite of the protest by thousnands of workers, submitting petition before Shri Matin-Ahmeds ~~t~~Central Government Tribunal, Dhanbad, this company is out of the reference of 1955 by the Govern-

ment of India for no other reason than to bolster up the local INTUC, whose local leadership have entered into a nefarious agreement behind the back of the workers with this company. Irrespective of this agreement, no ~~Manganese~~ uniformity in wage condition can be brough about in the Manganese industry by keeping this major monopoly concern outside the jurisdiction of adjudication on the issue.

2. Bonus: A quarterly attendance bonus that was paid till 1959 and now stopped, should be paid and an Act on the models of Coal Mines Bonus Scheme should be framed for the purpose with better amendments by soliciting suggestions from all quarters. Besides, the profit sharing bonus issue be taken up from year to year on the industry wise.

3. Cheap grain concessional facility: The workers in this mining industry hailing from villages find it shocking to purchase the grain from the markets, where the prices are soaring high every day. The disparity in earnings and hardships become more glaring in this industry at this region, when on crossing from the state of Madhya Pradesh to Maharashtra the price of rice is found higher by about fifty to seventyfive percent, by the workers working in the adjacent mines belonging not infrequently to the same owners without proportionate wage increase or dearness allowance. Thus it is necessary that there should be a provision for ~~tax~~ the supply of cheap grain at concessional price as was tthe practice till 1955 and still prevalent in some, including the C.P.M. . mines.

B. Grievances of the persons employed in the C.P.M.O Co.'s Mines:

1. Ration: The workers in the C.P.M.O.Co. get ~~cert~~ certain quantity of cheap grain at concessional price. But there are two discrepancies in the same-.

XXXX II. C O A L M I N E S

Inspite of the seeming lack of disputes in the coal mines, for the last 2 years, there are plenty of pin-pricks that the workers have to bear and unless these roots are nipped right now, things will take a bad turn in relation to the industrial relations.

1. In Birsingpur pali, helpers to boiler attendents do the work of Boiler Attendants Class II and the Latter work as Class I Boiler Attendants without getting the wages for the category of work they perform. Any complaints by tge workman is frought with dismissal and transfer.

2. In Datla East Colliery quarry working has been undertaken under the contractors, who do not fee obliged to give the wages the Award, and have also devised ways to see that no worker works there continuously for more than a few weeks so that they are always temporary and are bereft of any rights. Similar workings are carried on fearlessly in Eklahare Mines near Junnardeo M.P.

3. The working or Majari Colliery has changed hands from one Management to the other and from one contractor to the other but the service conditions and continuity of the benefits are in a doldrum.

4. Salary saving Scheme for undertaking Life Insurance policies:-

There are workers who feel secured if their life insurance policies can be maintained from their monthly salary, the deduction being authorised by the employer. This would encourage the employees from going to a scheme of saving and assuring greater security for old age benefits or security for their family. Unless the employers undertake to share the responsibility, this essential benefit is denied to the employees, particularly at a time, when they are left with hardly any other saving other than the meagre balance in the Provident Fund account. The Government

should undertake the task orf giving such benefits of voluntary deductions being undertaken by the managements for feeding the insurance policies.

III IRON MINES

It is only with the commissioning of the three more steel projects that the importace of iron mining has been realised on a footing of industrialisation and for national use, instead of as a commodity for export alone. The Majha-ra Mines situated at Dallirajahara under the Bhilai Steel Project contain one of the richest de-posits of iron ore containing nearly 67% of the metal. They are being planned to be worked on highly mechanised level with modern equipments. Nevertheless, during the last 4 years, manual working has been responsible for feeding the Bhilai Plant by giving a daily output of nearly 1500 to 2000 tons of ore. It is necessary that the following adoptions are made at an early date;

1. Bonus scheme: The entire work of iron ore production for the last 4 years has been undertaken by the workers engaged by the contractors, each one of whom has made a huge profit without giving the workmen either adequate wages, living tenament or bonus. Except on one such concern, viz. of M/s. Jyoti Bros. where the conciliation proceedings have ended in a failure, no effort has been made to secure any bonus to the workers. Even in case of the contractor where the conciliation proceedings have failed, it is apprehended that the delay in making a reference by the Government, if at all it choses to make one, and the subsequent adjudication by the Tribunal will grant enough time to the contractors to complete their work and leave the place for their home land in a foreigh country of Nepal. Unless a consolidated scheme is envisaged by a legislation, the exhisting procedure will give a long rope to the employers to escape any liability on that account.

2. Standing Orders for the mines. The Standing Orders should be enforced by the Bhilai Steel Project uniformly for all its mines instead of trying to make a show of its promulgation through the contractors none of whom to this day, have framed any, except one who has sent a draft which awaits certification, though the production started nearly 4 years ago.

3. Alternate employment to the retrenched employees of the B.S.P. It may be recalled that the Hon'ble Minister for Mines & Fuel and Steel, Sardar Swarnsingh made a statement in the Lok Sabha a few weeks ago, that the retrenched staff of the Bhilai Steel Project would be provided with alternative employments. Since April, 1960, this Union has been suggesting for the absorption of such staff in the various projects now undertaken in the Public Sector on a national scale, giving them the continuity of service and the like and they be considered the staff of a national pool of men skilled or un-skilled. We have also suggested that instead of commissioning the proposal for doubling the production in Bhilai by 1962, it can be initiated now itself, that is by 1961, when large scale retrenchment is feared in Bhilai both in the mines and the plant sections. Our suggestions, if conceded, will be in the best interest of the nation in furthering its developing economy as well as building a class of workers with patriotic zeal.

4. Payment for 15th August & 26th January. It is a sad spectacle indeed, that the contractors at the mines refuse to pay for these national holidays, even where the public sector holds the sway. Things need to be set right by Government without delay.

5. Quarters, cheap grain and drinking water. The present site of these mines were all places that were in small almost uninhabited places and in deep forest areas. Dwelling quarters for human beings just do not exist for the miners and pure drinking water is also scarce, particularly during summer. The greatest difficulty is with regard to the supply of cheap grain that should be undertaken by the principal employer.

IV. CLOSURE, RETRENCHMENT AND RELIEF.

Closures and retrenchment are a common feature, almost customary in the manganese mines of these two States. In most of the cases the smaller mines' managements manage to escape the liability of payment of compensation and such other dues by showing that the workmen employed have not exceeded 50 or have not put upwork for a continuous period of one year. Yet in other cases the unscrupulous employers try to take, not without success, full advantage of the backwardness and poverty of the workers to deny payment of compensation by a long process of either litigation or delaying payment, completely ignoring the instructions of the officials of your department if and when they intervene.

1. In case of the retrenchment in Shri Maheswari Mines of Chikhala in Maharashtra, 2½ years have elapsed, agreements one after the other signed, but the workers have not received a single naya paisa. It is not justification that the workers adresses are not available to the Union after this long lapse of time and hence no further step could be possible.
We have repeatedly suggested that let a date and place be fixed for payment of the dues and we undertake to produce the maximum number of workmen who have been obliged to go in search of jobs elsewhere.

2. Majur Colliery was closed in February, 1957 and even though the owner lost his case in the Supreme Court about a yearago challenging the validity of the Section granting retrenchment compensation of the Industrial Disputes Act as amended upto date, no payment has been made to the the employees as per the corrected calculations arrived at by the officials of your department in Nagpur. On the contrary the workers are being bullied and blackmailed in practice, to accept lesser payments and give the employers a clean certificate of the settlement of the final claims knowing full well that a dispute is pending in the High Court of Judicature at Calcutta

where it is in cold storage for the last 5 years with an interim injunction. Strangly enough neither the Judiciary nor the Labour Ministry have done anything tangible to the expeditious disposal of labour cases.

No effort has been made to restart the working of ~~Hajr~~ Hajur Colliery inspite of the reports of experts that there are good deposits of coal which can be extracted as per the standard costs, and thus things have been allowed to lay ~~xx~~ lying incurring a national loss at a time when ~~moremore~~ more and more production of coal is being sought to be achieved in the Second and Third Five Year Plans.

3. Renewal of leases or working in State Sector:- It is a frequent sight in the manganese mines that the existing leases expire and there is neither a renewal in ~~x~~ favour of the existing and working lease holder, nor granting of a new lease either in ~~x~~ favour of a new one or the State itself. The result is closure and consequent ~~an~~ unemployment, with retrenchment compensation if and when available at a lower rate.

Kodegaon Mines in Saoner Tahsil of Nagpur District, Ghokra Mines of M/S Madhusudandas and Akojwar are such instances. It was declared that on the expiry of the present lease of Kodegaon Mines the State would takeover the working of the mines and the lease has not yet been renewed. But when a deputation on behalf of this Union met the ~~the~~ Chief Minister who also holds the portfolio of Industries and Planning he flatly denied the veracity of such an intention and yet he could not explain the position of not granting the renewal of the lease either in favour of the present lease holder or granting the same to a fresh one. Thus we are confronted with a position in this mine in which 3 months after when the present lease expires there will be none to work the mine either in private or in public sector, leaving the workers stranded, without an employment and the mine without the production of the ore. Under

such conditions of insecurity the workers cannot but feel agitated.

We, therefore, urge upon you to take prompt measures to avoid such eventualities that not only create unpleasant situation but account for a big national loss in the field of production and development of its economy.

V. GENERAL PROBLEMS.

There are certain measures which should be adopted for the mining industry in general and particularly for this area.

1. Abolition of Contract System: Contract system in all forms and at all levels should be abolished. There is little justification in shelling out the profit to be middlemen of contractors who apart from the fact of being a waste and drain on the economy of production try to perpetuate mediaval relations between the employer and the employees.

2. Right of individual workmen to challenge dismissals in courts: In all cases of dismissals and removals from employment, the workmen, individually and severally should be given the right to approach the All India Labour Court or a suitable Tribunal and not made to depend upon the findings of the Conciliation Officer or the sweet and slow will of the Labour Ministry that has not as yet earned the confidence of the workers with regard to its judicial capacity or impartial nature in its making of the references that are necessarily of subjective nature. Kindly appreciate the fact that this is not asking for a moon. Such a provision exists in some of the Labour Legislations enacted by a few States in this Country of ours. We are, therefore, modest in making a suggestion that is already in vogue in some States and also in cases of extreme penalty of loss of employment for justifiable or unjustifiable reasons.

3. Seat of R.L.C.'s Office at Nagpur: The Regional Labour Commissioner's (Central) Office with jurisdiction over Madhya Pradesh and Maharashtra should be located at Nagpur, as was the location before the reorganisation of the States. At that time the R.L.C.'s

Office at Nagpur had juridiction over the entire present State of Madhya Pradesh, Vidarbha Region of Maharashtra, Rajasthan and for some time over the then States of Hyderabad. Such a location if need be, excluding Rajasthan and Gujrat will be both feasible and beneficial in the interest of uniformith in disposal of disputes particularly of the mines and Banks whose employers are mostly common and a bulk of them have their Head Offices in Nagpur. The proximity of distance is also a factor to reckonwith, particularly in view of the fact that greater industrialisation in relation to mines are taking place in the Chhatisgarh region of Madhya Pradesh. Even the main offices of the Railways both S.E. and Central are located in Nagpur. A careful examination of the proposal will completely justify the reasonableness and weightiness of the suggestion.

4. Convening of tripartite metting on mines other than coal: It is long time since this Committee has met. With the growth of industries in mining other than coal it is imperative that the tripertite meeting on mines on other than coal is convened at an early date to discuss various problems cropping up in these sectors of mines. Many more problems other than stated here need discussion even on iron and manganese mines themselves, that need a thorough investigation and study.

Hope the issues raised above will receive a careful consideration and we offer our co-operation in an effort to have a through probe by clarification on matters that may be raised on either side, that would be necessary before taking decisions at appropriate level and which we are sure will be communicated to us at an early date.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd. S.K.Sanyal.
General Secretary,
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh.
(Regd. in M.P. & Bombay State).

Copy to:

General Secretary,
All India Trade Union Congress,
4, Ashoka Road,
New Delhi.

INDIAN ADULT EDUCATION ASSOCIATION

17-B, Indraprastha Marg,
New Delhi.
28/12/1960

To

_____

_____

_____

_____

Dear Sir,

In continuation to our letter dated December 16, 1960, I am sending herewith a copy of "An Introduction" to the Training Course for the Teachers of Adult Primary Schools. It is requested that you may kindly depute at least two Workers for the said course, and send their applications by the 5th of January, 1961.

With best wishes,

Yours sincerely,

S. C. Dutta

(S.C. Dutta)
HONORARY GENERAL SECRETARY.

Encl: 1

INDIAN ADULT EDUCATION ASSOCIATION

17B Indraprastha Marg
NEW DELHI

TRAINING COURSE FOR THE TEACHERS OF ADULT PRIMARY SCHOOLS

An Introductory Note

About 35 adult primary schools were started on experimental lines in Delhi, Lucknow, Calcutta, Coimbatore, Mysore and Bombay. These schools have been running for the last three years. The experiment was conducted by voluntary adult education agencies affiliated to the Indian Adult Education Association under the supervision of the Rresearch Ttraining Centre, Jamia Millia with the financial assistance of the Government of India. The results are encouraging and indicate that adult schools are the need in urban areas. Consequently the Education Panel of the Planning Commission has urged the starting of adult primary schools in the Third Plan period. It is expected that adult schools on a large scale would be opened during this Plan. In Delhi 40 more adult primary schools are expected to be opened.

In adult primary schools, the students are taught not only reading, writing and arithmetic but they are also given suitable education in social studies and general science. The personality development of each student is ensured through individual guidance and co-curricular activities. An average student finishes the course equivalent to5th primary grade within a period of 2½ years. He is examined at the end of each grade and at the end of grade/the Director of Education will administer the examination and the successful adults is awarded the certificates.

To make adult schools successful and after considering the probable demand of teachers for such schools, the Association has decided to run a one-month training course for the adult school teachers from the 9th January 1961. An outline of the syllabus for the course is given at the end.

The applicant for the course should have at least a high school or equivalent certificate. Candidates having higher qualifications or experience of teaching adults will be preferred. The application for admission to the course may be sent to the General Secretary of the Association by the 5th January 1961, along with the fee which is Rs. 5/- only for the whole course.

The course will be conducted at 17B Indraprastha Marg,(Near Azad Bhawan) New Delhi. The theoretical portion will be covered between 9 A.M. and 1 P.M. and the practical work will be done in the afternoon by the women trainees and in the evening by men.

The trainees will be given testsat the end of the course and the successful ones will be awarded certificates. To qualify for the testsit is necessary to have 75% of the total attendance by each trainee.

An Outline of Syllabus

THEORY:

(a) Literacy and adult education movement in India. Place of literacy in social education movement. Definition of functional literacy.

(b) The concept and importance of adult school. Adult Primary Schools--an experiment. Development of adult school movement in the country.

(c) Organisation of/an adult primary school. Qualities of an adult school teacher. The syllabus.

(d) Adult psychology.

(e) Methods of teaching language, arithmetic, social studies and general science. Organisation of co-curricular activities.

(f) Use of audio-visual aids in teaching.

(g) Evaluation of the students' achievements. Keeping of records.

(h) Reading material for the students. Principles of simple writing. Testing of the reading materials.

PRACTICAL: Practice teaching. Preparation of objective tests. Preparation of audio-visual aids.

KHADAN MAZDOOR UNION
R. No 435
H: O. KORBA.

Ref No. KMU/26/60 Date 29-12-60

The Dy Supt of Collieries
N.C.D.C. Korba Colliery
Korba

Dear Sir,

Sub: Inhuman behaviour and Brutal assault by the overman Shri D.D. Chatterjee to Shri Shyamelal Rawat s/o Ram prasad, Shri Ramlal s/o s/o Krishna and Shri Badnath Loaders of No 1 & 2 Incline on the night shift of 28-12-60

It is reported to us by the above three loaders in the morning of 29-12-60 that they were not allowed to work on 26th and 27th December 1960 by the munshi

On the 28th December/60, the above three loaders approached the Manager who told them to work at 9th Kaman (Pillar) & accordingly they started their works there. The munshi asked them to stop the works and go up. While they were coming up the overman Shri D.D. Chatterjee met them near 7th Kaman. No sooner had he seen them started abusing them "Bhosriwale I told you to work at 7th Kaman". The loaders told him that the Manager ordered them to work at 9th Kaman, so they were working there. The overman caught copper wire (wiring) which was on the neck of Shyamlal and lifted him and kept him hanging for 2/3 minutes and due to this he was about to succumb. The overman then thrown him on the ground and started beating the other two loaders. These loaders were then driven with beating from 7th Kaman to 9th Kaman. The overman while beating the loaders was ~~shou~~ shouting "The Manager is my Bap. I am the manager and you are to work as per my orders" and the loaders were then driven out of the Incline after ~~sn~~ snatching their shovels and baskets.

The other day we, vide our letter No. No. K.U/18/60 dated 18-12-60 have drawn your attention towards the sample of behaviour and discipline observed by the Manager of the same Incline towards Shri G. G. Ghosh.

General Secretary,
Khadan Mazdoor Union
H. O. KORBA

This is the second sample of behaviour and discipline observed by the overman Shri D. D. Chatterjee.

I think you have not forgotten so soon the cases of the nature reported to you from time to time during my tenure of office as office secretary of the Chhattisgarh C.M. Federation Korba Branch, Korba. From past and present am I to conclude that either the administration is inactive to do anything in this connection or the personals are unmanageable in this respect.

Further it has also been brought to your notice from time to time that the almighty authority vested or self ~~creating~~ created by these munshis to stop work, suspend etc any workers according to their sweet will.

Will you please take a very serious view of such happenings day by day and let us know if any action is necessary and is contemplating to stop it? If it is not possible please intimate us frankly to enable us to seek remedy from competent authority to stop it.

Thanking you.

Yours faithfully,

General Secretary,
Khadan Mazdoor Union,
H. O. KORBA.

Copy forwarded for favour of information & necessary action to:-

1) The Managing Director, N.C.D.C. Ranchi
2) The Deputy General Manager, N.C.D.C., Ranchi
3) The Chief Mining Engineer, Madhya Pradesh, Ranchi
4) The Secretary to the Govt of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi
5) The Chief Labour Commissioner (C) New Delhi
6) The Regional Labour Commissioner (C) Jabalpur
7) The Labour Inspector (C) Raipur
8) The General Secretary, AITUC, New Delhi
9) The Secretary, P.T.U.C. Mahatma Gandhi Road Indore
10) The Vice President & the Secretary, K.M.U., Korba / Raipur
11) Mr. Shri S.K. Thakur, Jabalpur

General Secretary,
Khadan Mazdoor Union,
H. O. KORBA.

KORBA Coal mine file

KHADAN MAZDOOR UNION. R. No 436 H. O. KORBA.

(270)

The General Secretary
A. I. T. U. C
New Delhi

Dear Sir,

I beg to bring to your notice that we have Started a Communist Union under the Style of Khadan Majdoor Union under the Red Banner and succeeded to enroll more than 800 members ~~under~~ with the unwarried energy of Shri P. K. Thakur Saheb. This union is in N.C. D C's Korba Colliery. I have every hope that you will appreciate the undaunted Spirit of the 3 three (1) Thakur Saheb (2) Shri Abdul Razak and (3) Shri Mirza Mehedi we are really grateful to Thakur Sahib as he toiled much to give us timely help and sound guidance. During the Raipur Provincial Conference our President Shri Mirza Mehedi and the young Comrade Abdul Razak were sent from this place as deligates and so far I think the young Comrade impressed Com. Joshiji and accord an immediate sanction to allow Thakur Sahib to proceed to Korba Coal field forthwith. The Labour strength at Korba is about 2500 to 3000. The I.N.T.U.C union under the Style of Chhattisgarh Colliery workers Federation is working here since August 1959 under the President Ship of Shri R. L. Malviya, M. P. and the whole Colliery was in their hand. Now they have started a vigorous Camping to uproot us and to establish their supremacy again in this Colliery. In our opinion at this juncture we hold the supremacy over them. This is a teeth and nail battle field and and we want such Comrade here who can give us sound directions and proper guidance. It is needless to trace that our Union is born only on 12-12-60. To give a proper fancing to save the newly born union and to ~~?~~ ~~?~~ we need the immediate help of Thakur Saheb whose guidance and skilful working we would therefore earnestly request you to very kindly pass orders and spare him immediately just after the Conference is over at Kyambatoor to start for Korba at least for 2 months and also to instruct other Comrads to visit Korba ~~?~~ accationally.

P. T. O

General Secretary
Khadan Mazdoor Union
H.O. KORBA.

Thakur Sahib is badly needed by us and as such you will please keep everything in abeyance and spare him. We have every hope that you will be good enough to pay your serious consideration to our earnest request. You will be pleased to note that the monthly subscription of the I.N.T.U.C at Korba Branch was Re 1/- per month which has been reduced to 4/- a month to throw us out. Though it is a down fall on the part of the I.N.T.U.C yet it has created a very difficult task for us at present because they are not lacking behind to keep their membership intact to issue ticket without ~~sub~~ subscription.

As far as our union is concerned we ~~are~~ are to inform you that we are handicaped as regard funds due to initial expenses such as maintinance of office, Propoganda, Grouping works etc etc which are most essential at this moment. A 2nd hand typewriter ~~to put~~ is in badly needed by us in our office and as such we would request you to please help us with a fund of Rs 500/- (Five hundred) only. Rs 250/- immediately and the balance when required. You may consult with Thakur Sahib in this connection. We will refund the money by an instalment of Rs 25/- per month. If you want this union to survive the ~~im~~ immediate help is unavoidable.

We have written everything frankly and sincerly to you and expect to receive your early decision.

Yours sincerly

Chandra Gupta

M. Mahodi

General Secretary,
Khadan Mazdoor Union,
H. O. KORBA.

अध्यक्ष

Dt 30-12-60

खदान मजदूर यूनियन,
हेड आफिस कोरबा,
जिला बिलासपुर, (म० प्र०)
Memas' quarter No C86

Colliery Mazdoor Sabha.
G. T. Road.
Asansol.

Ref. No. CMS/MS/840 /60. Dated 31st Dec'60.

To,
Sri, A . M. Joshi,
Regional Labour Commissioner (Central)
IMPLEMENTATION.
Dhanbad.

Dear Sir,

I wish to draw your immediate atention to the illegal action of the management of Modernsatgram Colliery who in violation of the understanding with the Central Labour Ministry , are on one hand terminating the job of so-called temporary workers and on the otherhand recruiting new workers. This definately is not going to help us to bring back the normal condition and it seems the management is aiming at to create a disturbance between the old and the new.

This termination of services of workers is absolutely malafide and amount to gross unfair labour practice. The name of the workers are Sarvaree Fagoo Bhuiya, Tanka Bhiuya, Dasarath Rajbhar, Lalan Rajbhar, Meghu Bhuiya, Prakash Bhuiya, Dhaneswar Bhuiya .. .. all wagon loaders.

Besides, some workers are being asked to go to other Colliery. The name of the workers are Sarvasree Mazid Seikh, Rambhorosha Singh, Khudal, Rambidhi Singh, Jangli Rathore, Kailu Bhuiya, Sukhdeo Bhuiya, Biswanath Singh, Jethu Bhiuya, Sivapujan Singh, Siva Chand Rajbhar, Sivadhari Chamar all are wogon loaders.

I would request you to take immediate action.

Thanking you in anticipation of an early reply.

Yours Faithfully,

(B . N. Tewari)
General Secretary.

Copy to:-

Sri R. L. Meheta,
Jt. Secretary,
Ministry of Labour & Employment.
Govt. of India. New Delhi.

The Secretary,
All India Trade Union Congress.
4. Ashok Road.
New Delhi,

for necessary action.

नंबर २६६/६० तारीख २१/७/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्तांक्षर नि. आं. करने वाले श्री. [illegible] मिनरल प्रा॰ लिमिटेड माईंस रामटेक सायडिंग ...... मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.
१. मइन ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन ओर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन क करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को ओर राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें को संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

(१) विठ्ठल हरी [illegible]

(२) मारोती शिवराम

(३) सत्यफुला मारोती

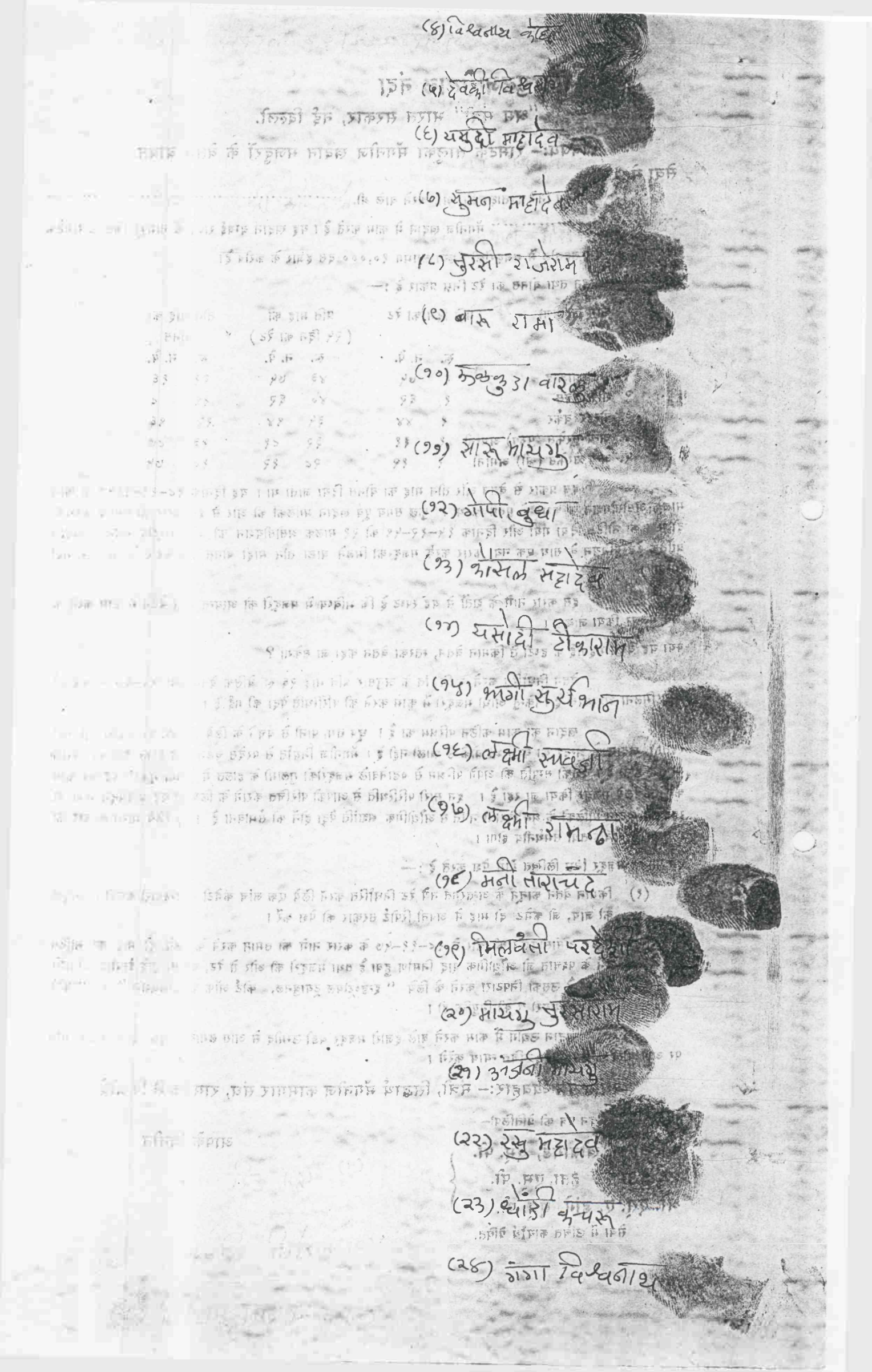

(४) विश्वनाथ कोहि

(५) देवकी विश्वनाथ

(६) यसुदी महादेव

(७) सुमन महादेव

(८) सुरसी राजेराम

(९) बारू रामा

(१०) कैकुडा वारलु

(११) सारू मायगु

(१२) गोपी बुधा

(१३) आसल महादेव

(१४) यसोदी टीकाराम

(१५) भागी सूर्यभान

(१६) लक्ष्मी सखाराम

(१७) लक्ष्मी रामना

(१८) मनी ताराचंद

(१९) मिलवंती परदेसी

(२०) मायगु सुरसराम

(२१) उजनी मायगु

(२२) रसु महादेव

(२३) धोंडी कंचरू

(२४) गंगा विश्वनाथ

(२५) शिवरा विठोबा

(२६) अंजनी कब्बुडा

(२७) डोमी राजा

(२८) राधी कब्बुडा

(२९) लक्ष्मी सीताराम

(३०) शीता डोमा

(३१) सुंदर कासीराम

(३२) द्वारकी गोपिचंद

(३३) लायजी भदु

(३४) कौसल नागो

(३५) मंजी आंनु

(३६) किसन हरी

(३७) गंगु हरी

(३८) बनी पिकू

(३९) साखू सुरसीराम

(४०) सई रामजी

(४१) कुंडलीक महादेव

(४२) सोनी कुंडलीक

(४३) तुरसी सुखदेव

(४४) मानीक सदाशिव

(४५) लक्ष्मी मानीक

(४६) सकु रायभान

(४७) रायभाने भौरा

(४८) छाबी देवन्ना

(४९) बकु गनपत

(५०) हरी मारोती

(५१) तानी मोडकु

(५२) जौनी नारायण

(५३) सेवती महादेव

(५४) पारवती हरी

(५५) रामन्ना हसन्ना

(५६) विठ्ठल डोलबा

(५७) चंद्रभागा दसरथ

(५८) पारवती पंढरी

(५९) इनी मोडकु

(६०) पुसी रामा

नंबर २५९।६० तारीख २१।१।६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. [illegible] मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. मढर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्सिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता **म्. पी.**
श्री. एस्. ए डांगे

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

सुकदेव मनहाद [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

~~भाऊराव व. रुस्तमजी वागेड~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

हेमा - याराजाराम

[illegible]

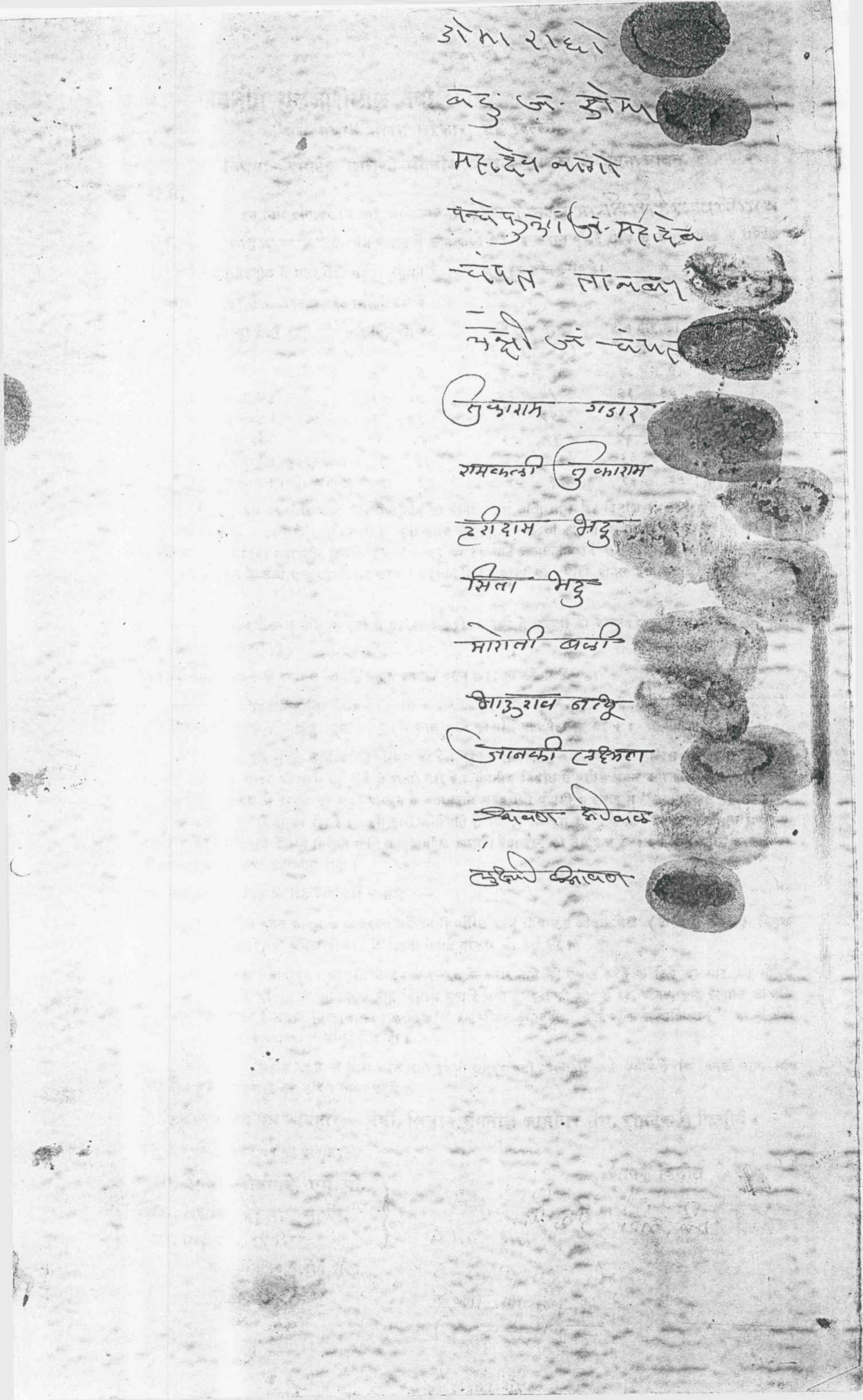

नंबर २८१/६० तारिख २१/१/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. .... मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. भहर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयेशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नहीं मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

Gopal Dhondu
झिंगरु किजलाल उईके
मुकुंदा नथ्थु बागडे

वासुदेव तुकाराम मरलो

ग्राम पीसाका

सोनी धुदबा

गायत्री परसराम

कलौती जिघलंगा

तुलसी रामा

भागरथी वछगु

अनुसुया हरिराम

सावित्री सावण

सैजी पांडु

गोपी पांडु

गुजी आडकु

काशी नारायन

जानकी गुडराव

गंगू शीवराम

रनबू श्यामराव

जानी सितारम

रैजी रामजी

अंबी गामा

का[illegible]की मारोती

जैना वासुदेव

मैना मारोती

आंजनी नारायण

नागी जिवतनंग

सुंदर फुलाराम

बारकी दशरथ

फुलकार मयालाल

सौतचंदु रामजा

गोविंदा सितासम

नर्बदा चिंतामण

नागी सीताराम

गोंदा बिवोबा

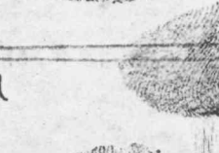

अंजनी कोरोराव

अंजनी तुकाराम

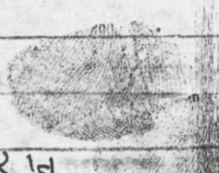

हिमी लक्ष्मण

पार्वती हिबल

गंगू माधोराव

जनी उईकूडा

मयरीला नवा

कमला चिंतामण

सौलौ गरोबा

कमली दादू

बाळाबी आणाबा

गिरजी लखराम

बाई आवण

जाणकी रामा

शांती बारकू

साकू बारकू

लीला बारकूब

भागी नथू

उडकडी मोहन

पंचफुला राजाराम

सुंदर आवण

सरजू राम लाल

पार्वती फकीरा

सकू सितीराम

रम्मो महादू

कौसल्या किसन

सरू बिसन

सुंदर हसनू

बनू लहानू

पार्वती तुळसीराम

नंबर २८७/६० तारीख २१/७/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. भां. करने वाले भी. दुर्गा माईनिंग प्रा. लि. रामदास पेठ नागपूर माईनिंग मंडल मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्कर्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	२२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन ओर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधो मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्सिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरो" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस अ वेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम. पी.
श्री. अशोक मेहता एम. पी.
श्री. एस्. ए डांगे एम. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

इसवरदीन

आत्माराम रंगारी

अर्जुन नन्ने

आनंतराम वं.बवीराम

जीवजेगा कोंडु

रामा जेठू

बाजिराव तुकाराम

भागरती ठुकाराम

हीरामन जंगलु

भगवान मोतीराम

हरीदास जुव्या

रमी संपत

देवकी दगडु

पारवती बारकु

कुसमी भावला

कमला छेनु

रामा सीताराम

मंजुली बाजीराव

समली रामा

कलावती चेंद्राम

कुबळीया रामकीसन

गैंगु रा घो

वीमल गोमा

गोमा गन्दू

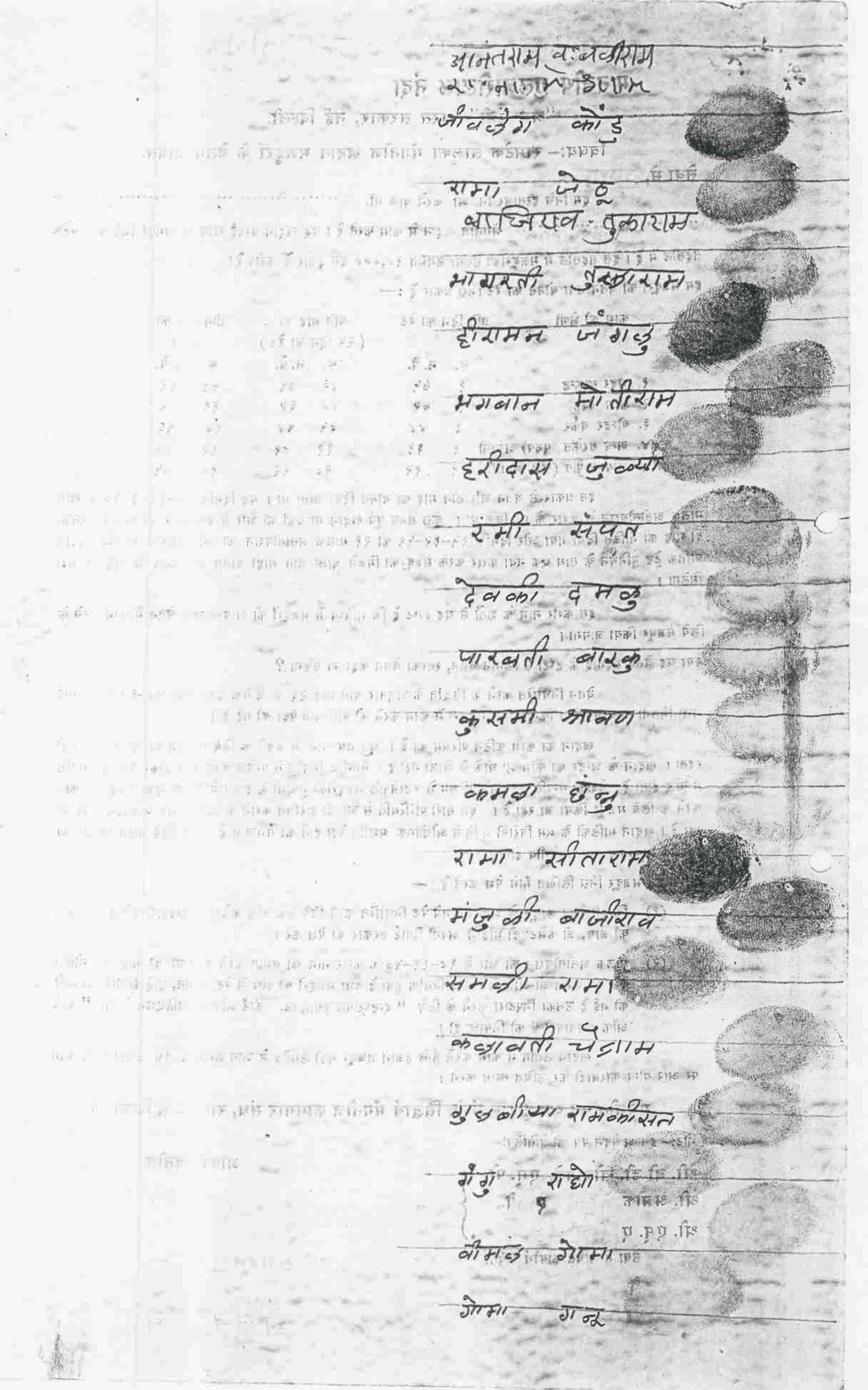

नाम देवनाथ

तुरसीराम चौथु

समनी कुंवर

रंगु महादेव

गुजी भुरा

बायनी जीवलग

बासा भगवान

सोनी गनपत

कौवसल सीताराम

गैनी मुका

सांती चीरकुट

अनुसया अनंतराम

पारवती मोतीराम

झीवली सदासीव

सेवंती फकीरा

ठंमी दसरथ

बाबुलाल मंगीरा

नथु मंगल

सामलाल प्रेमलाल

पुस्सु दुर्गा

सुकू रमेश्री

माळन श्रावण

ठीळा. ठरवण

समक्री मनोहर

उळकुळी मारोती

सया सदासीव

बापुराव इटोबा

भुरा संभा

महमदसरीफअबदुलरवा

धुरबती गोवींदा

भागरती फजीतराव

ठेका चींतामन

चंद्रभागा हरीराम

छोटीबी सेकसुळेमान

मुळीया अरजुन

सेमबाई नन्नू

सुमद्रा भीमा

चंद्री झीबळ

मैना तुकाराम

कवळी दाजा

नंबर २६३/६० ता. २७/१/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. [illegible] मॅगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ग्रीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता एम्. पी.
श्री. एस्. ए डांगे एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

माह्या व: चिंधू इंदोरकर
धन्ना व: चिंधू आगडे
पुंजाराम व: अंतु आ[illegible]

येसोजी व: दिवा-या आंगठा

बाळकोबा व: महादेव आंगठा

रामा व: दोळकु आंगठा

सोमा व: दोळकु आंगठा

शंभजी दोडकु सांगोडे

पि

मुकुंद रामाराम साहारे

कवडु व: बाजीराव आंगठा

नहेद बजागन अपाद

बकिया व: परस्या आंगठा

गुलाब व: हरिल्या आंगठा

बुध्या व: जयराम यांचा आंगठा

रामा व: नारायण सांबोडे

गोकुल व: अंतु करोडे

बळीराम व: उरकुडा यांचा आंगठा

जनार्धन व: दसरथ ठाकरे

राघो व: मेसर यांचा आंगठा

हरी व: विक्रम यांचा आंगठा

लक्ष्मण वः उरकुडा जनबंधु

तुरसी वः तुकाराम यांचा ओंगठा

नथ्थु वः सखाराम दः स्वः

चन्द्री वः गुलाब यांचा ओंगठा

गुनी वः उरकुडा यांचा ओं[illegible]

रगू वः पाडुरंग यांचा ओंगठा

भागेरथी वः टिकाराम यांचा ओंगठा

येसोदी वः मोहन यांचा ओंगठा

बाजीराव वः दिवाळु दः स्वः

सकू वः तुरसीराम यांचा ओं[illegible]

सुदाम वः डूडी यांचा ओंगठा

रावजी वः उरकुडा यांचा ओंगठा

बळीराम वः धोंडबा यांचा ओंगठा

जाई वः तिजू यांचा [illegible]

गणपत वः सदाशीव य[illegible]

अंबी वः उदस्या यांचा ओंगठा

देवराव वः पंचम यांचा ओं[illegible]

नथ्थु वः अभिमन दः स्वः

रामा व: सोन्या यांचा आंगठा

राधी व: सितांराम इचा आंगठा

मदन व: हरीयाव यांचा आंगठा

रुखमा व: माहार इचा आंगठा

सकाराम व: किसन यांचा आंगठा

लाहनी व: पांडू इचा आंगठा

अमृत व: मारोती यांचा आंगठा

कौसल व: सुरभान इचा आंगठा

चिरकूट व: अर्जुन यांचा आंगठा

सया व: सकाराम इचा आंगठा

मारोती व: सोन्या यांचा आंगठा

कचरी व: ~~[illegible]~~ तुकाराम इचा आंगठा

पंढरी व: सोन्या यांचा आंगठा

कुसमी व: सुदाम इचा आंगठा

बनी व: रावजी इचा आंगठा

लाहान पारडू धर्मगाये

तुकडी व: जया यांचा आंगठा

धोंडय व: चंदर यांचा आंगठा

रयमत व: भगतू यांचा आंगठा

अमीर व: कालेखा यांचा आंगठा

उरकुडा व: भीवा यांचा

लक्ष्मी व: मोक्या यांचा आंगठा

पैकी व: जंगल्या यांचा आंगठा

सारजी व मंगल यांचा आंगठा

गौरी व: मोप्या यांचा आंगठा

लोटन व: कंमतू यांचा आंगठा

भामी व: सुका यांचा आंगठा

किसनी व: जागो यांचा आंगठा

गंगु व: जागो यांचा आंगठा

अरकुडी व: सुकन इचा आंगठा

गजी व: सोनबा इचा आंगठा

-1 FEB 1960

नंबर ३०६/६० दिनांक २८/१/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. राजबहादुर सिद्धार्थ सिंग शर्मा माइन पारशिवनी .... मॅगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसोल में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।.

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. भडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन ओर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयेशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति मे वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें को संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित माँगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ग्रॅच्युटी ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन आवेदन पत्र की प्रेतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

(१) दशरथ भाकरु
(२) सीताराम गणपत
(३) महादेव रस्मारी
(४) नारायण सीताराम

(५) भैया सिताराम

(६) बापुराव सिताराम

(७) रामजी श्रावण

(८) सिताराम फाक्रेराम

(९) गोपाळा दोडकु

(१०) चंद्री ज. सिताराम

(११) धोंधी बा. नारायण

(१२) मथु ज. बापुराव

(१३) भागी ज. शीवराम

(१४) राधी ज. धोंडबा

(१५) बना जो. गणपत

(१६) राधा महादेव

(१७) गोविंदा सिताराम

(१८) लक्ष्मी ज. रामा

(१९) पारबती ज. बापुराव

(२०) मजुबाई ज. राजाराम

(21) गंगाधर लक्ष्मण

(22) रघुनाथ लक्ष्मण

(23) उचरू सदासिव

(२३) सदाशीव रामजी पारोला।

(२४) कृष्णा मतीराम

(२५) राधो ज. सदाशिव

(२६) रुखमा ज. तुळसीराम

(२७) बाजीराव इसारी

(२९) शंकर गनपत

(३०) परसराम उपासु

(३१) रंगु ज. बाजीराव

(३२) आडकी ज. महादेव

(३३) लीला ज. महादेव

(३४) सोनी ज. नथ्थु

(३५) शामजी काशीनाथ

(३६) बापु लक्ष्मण

(३७) सोनी ज. मोहनु

(३८) चंद्री ज. माधो

(३९) हरी महादेव

(४०) सखु ज. हरी

(४१) पारबती ज. नारायण

(४२) सीताराम माहादेव

(४३) ज्ञानराव सीताराम

(४४) मधु सिताराम

(४५) भागा ज. सिताराम

(४६) त्रिवता ज. यासीन

(४७) विश्वनाथ सदासिव

(४८) कृष्ण मारोती

(४९) पारबती ज. मारोती

नंबर २९५/६० ता. २३/१/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. कोस्ट मिनरल्स प्रा. लि. गिरीपेठ नागपूर चारगांव [illegible] मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शोफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन ओर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन की और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा मूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो। [illegible]

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता एम्. पी.
श्री. एस्. ए डांगे एम. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

1 [illegible]
2 [illegible]
3 [illegible]
4 केशव [illegible]

5 मारोती व. आडकु

6 पारबतीजो. मारोती

7 निरकुट दामा चौधरी

8 मुकुरा जो. निरकुट

9 रामचंद व. गोविंदा

10 अर्जुन व. मुकुंद्या

11 सुमी जो. अर्जुन

12 रुक्मा व. आत्माराम

13 बनो जो. भगवान

14 मारोती व. भिकारी

15 भुलो जो. मारोती

नंबर ३२०/६० तारीख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. भा. करने वाले श्री. सेंट्रल प्रॉविन्स मॅंगनीज ओर कंपनी लि. मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

इम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ओफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरका मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेश चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ग्रेच्युटी इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक [illegible] म्. पी.
श्री. एस्. ए

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

कमला व. सोना

सगुना व. मामलू

केशोलाल व. सुरदीन

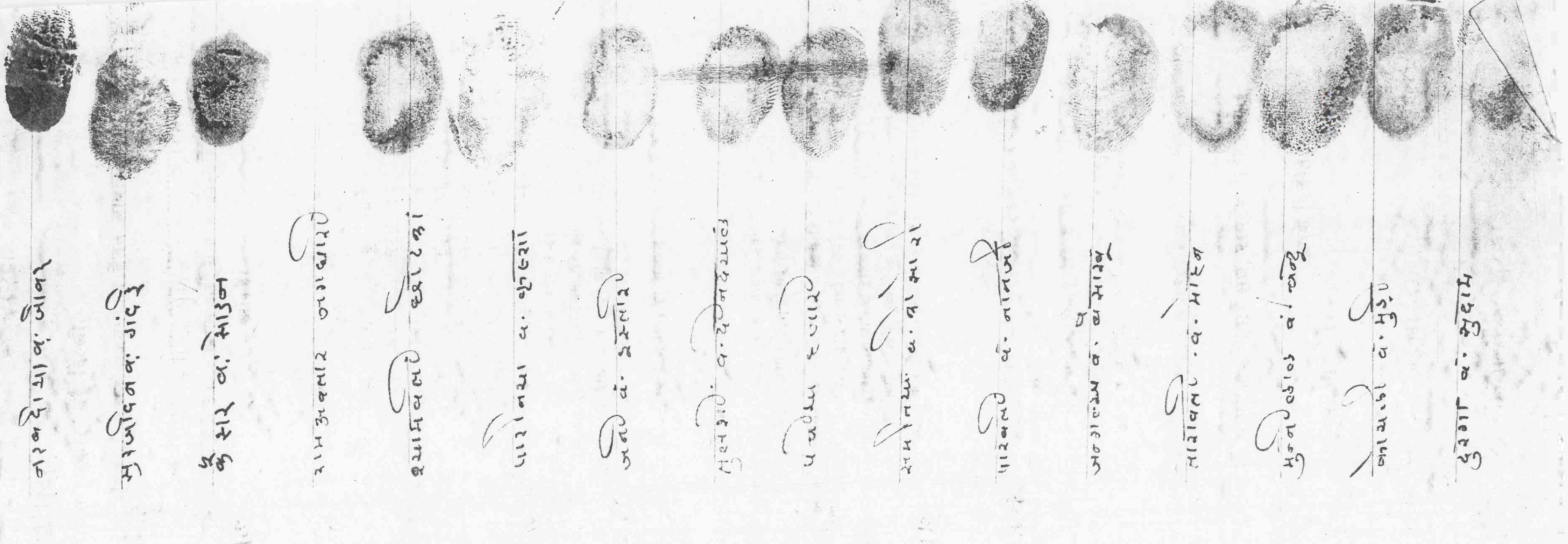

मंगलउमानकी

फुलवटीयालछमन

ओशा व: कुंजल

तिजा व: पुसउ

कुन्टीव गबिसेसर

बाबूलालकेदा

मनबोध व: जइयालाल

गेंग व: पन्चू

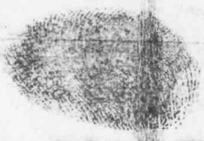

छोटेलाल व: रामसहाय

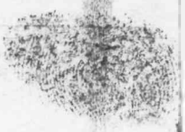

बाबूलाल झाडू

समना व: जुना

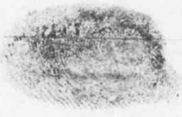

नंबर ३९०/६० तारीख ८/८/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

इम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाळे श्री. [illegible] मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

इम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अँडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. चीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन ओर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया ओर दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को ओर राष्ट्रीय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य मे मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

इम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ग्रेच्युटी इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

ચૌલી રતન

જગન ધનકી

પુનલેજરીયા [illegible]

ભગવતીયા ભીમારવુ

યાદુ ભુદુ

છેડ્રોરીવા ઘુનાર

શાંભુ પારધેશય

રાજેલયન કાયદુ

રેયાભ રાજેલેન

પુનોમા રાજેતેજી

કરેયા રામયયાર

જાવાજી પરેદુ

જાવાયાભી પિરલુ

રાજુ રઘુનાથ

ધનુ માસુનદ

રામુ ભીમુ

લિમા.બાદલ ભીમાજી

વિજાયા ધરડુ

चिमनीबाई छगनलु

कौशल्या हीरा

मंगल डुंगरसिंग

धुरपती मुन्शी

नन्ही जवाहीर

देवी दीन गयादीन

धनसोहदु

बलरीया गयादीन

रामबती गोकुल

नारायण गावला

कारजा मलराम

यशोदा रामजा

लूरजा जैलु

भागा नानलु

राजा हनु

आना धादया

पंढरी मारोती

कौशल्या भिवा

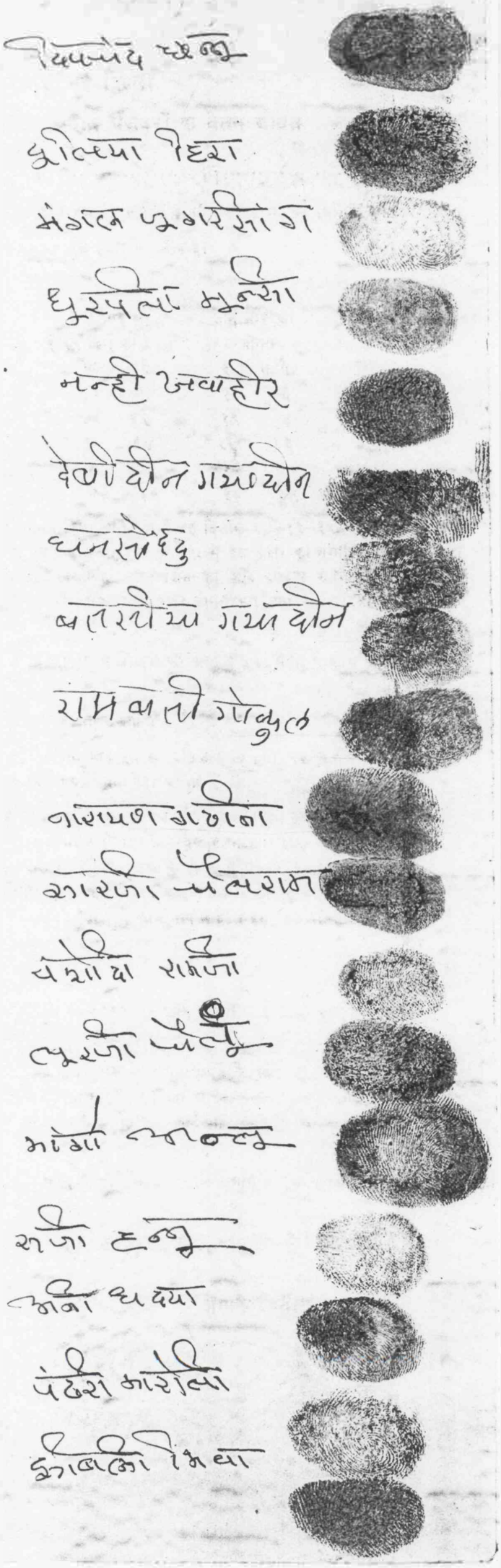

नंबर ३२०।६० तारीख ८।८।६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मॅगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. .... मॅगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील मे है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. रूफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महंगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति मे वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, वृद्धि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मॅगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक [illegible] म्. पी.
श्री. एस्. ए. [illegible] म्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

शिवराम गणू जोकावडे

पांडुरंग भदू इनवते

नंदराम व. राजेराम

भगवान डोमा

किसन कान्या

मनोराम आत्माराम

तुरसी भगवान

आनुका रावजी

सकू चिंदू

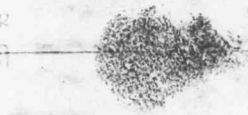

महादेव चिंदू

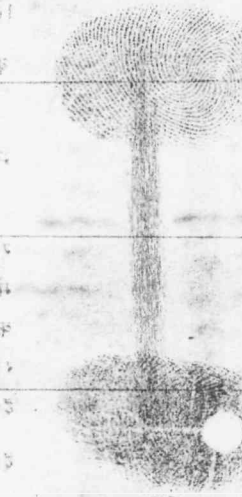

भाऊराव तुकाराम

धुरपता तुकाराम

सखाराम केशव

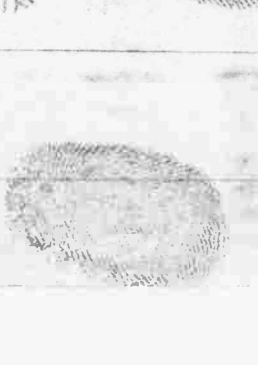

पुतल्या संड्या

सारजा गणपत

जंगल्या पारन्या

सोनी सीताराम

जैराम देवाजी

बापुरावकिसनताडे

रेतामी भदु

पारवती गोमा

हरीव. आडकु बंनसोड

बापुराव सुदाम

मोती सुखलाल

भास्कर सुदाम

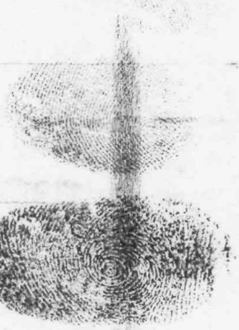

बौसाखु बेहारी

भागमी गीरधारी

मैमी गीरधारी

कचरी रघ्जा

नामदेव व. छदृमन

जनीव. रामाराम

लक्षमन व. गण्या

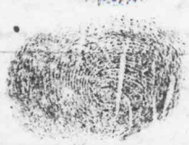

बारन कारू

जनी गन्या

નિ. ગામન મુક્દા

મુકુંદા વાસોનરા

મેનો પના રૂપ

રોમુનો હીરામન

સોમાનો ધનશામ

પંચમ ભગવાન

નાઈ નાગે

प्रल्हाद व. बारकू

વાઘજી સુકા

નાગો વ. પંચમ

नंबर ३३४/६० तारीख ८/२/२

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अां. करने वाले श्री. .... मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

इम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट रू.	न. पै.	प्रति माह का (२५ दिन का रेट) रू.	न. पै.	तीन माह का बोनस रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधो मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति मं वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरो" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इन अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

महादेव व. गणपत

श्रीराम व. श्रीवन

गंगाराम चौधरी

अमृत व: तुकाराम

सदाशीव व: सकाराम

डोमा व: डोंडबा

छमा व: सुकुरे

जेराम व: बारकू

बाजीराव व: जोंधु

मधु व: बाजीराव

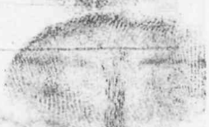

छगास व: धुरकु

सरावन व: बांडूस

सीताराम व: चौधु

सोवती व: चौधू

नारायेन व: सदसीव

बारसी व: रामचंद

छकल व: ज्ञानबा

छगसी व: सरावन

गडुराम व: बाजीराव

सोनी वः सोनवा

धुरपती वः चतुरा

मोहन वः सीवराम

लल्ला वः हूलकू

रालू वः संदासीव

गगू वः मगल

रुकमी वः हेलया

जपाऱ्या वः नारायन

सोहेलाल वः साधू

सोमा वः माधो

डोमी वः जैराम

कोडवा चीतामन

लक्षमी भगवान

~~स~~सारज व: कीसन

नकुराम व: ऊरकुडा

बारजी व: चींतू

रानी व: नामा

वीठल व: सीताराम

राधा व: श्रावन

सोनी व: तुकाराम

सुलका व: जानू

सजेराम व: श्रावन

महादेव व: दवलत

लोहनु व: नागो

बनी व. श्रोक्या

रामचंद्र व: चींतामन

कुसीराम व: कोमा

जागो व: तुकाराम

सोनी व: जैराम

बारकू व: भैया

नंबर ३३४/६० तारिख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. सें. प्रॉ. मैंगनीज ओर, कंपनी लि. माइन मनसर मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. मडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने को संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीयें।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

महादराम वा. गणपत

बाजीराव भाकरे

[illegible]

ठं २१२८ ३५

नामदेव भीवा

दुलका वः बारकू

रुकमा वः जगलू

सीताराम मायेलाल

सरयमा कठदया

लकदमा रामा

उपरेर फकदरया

सवरेरला जिवाडा

सोमा गाठवले

सायमी कोडू

इंठी वः कोदया

फकीरा वः फत्तू

बीसनी वः मोतीराम

सुंदर वः माहादेव

कपूरी वः [illegible]

गेनी वः जागो

लखमि व: डोमा

राहि व: झांवन

झीबली व: बाबू

बायजी व: चैतू

रूखमी व: आवन

रासी व: मपल

मनोरामव: तुकाराम

गूलब व: गणपत

राधवती व: कोटया

कवराब व: पूजाराम

बीकुरम व: पाडू

गोधी व: जगदू

कटारू मीका खोब्रागडे

बेली व: पाडू

देबा व सकरू

सोनी ददू

मोतीराम व: डोमा

स्यातरी व: गणपत

जानी व: नन्दराम

डोमा व: चिरकूट

सि.सी. गजभीये

रंगी मोतीराम

चन्द्रभान भंडु

लकुन व: सोनू

सया व: सीताराम

टूकाराम व: बंड्या

चूडामन व: बुद्या

कीसनी व: बकाराम

साहदेव व: शिवा

हागरू व: पूस्या

नंबर ३९४/६० तारीख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः— रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. सी. पी. एम. ओ. कंपनी लि० मांड्री खांद्री मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ओपन वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महंगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किंतु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मॉंगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मॉंगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्सिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मॉंग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः— मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः— इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी—

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

रघुनाथ व. लाला

जमना जौ. रघुनाथ

2

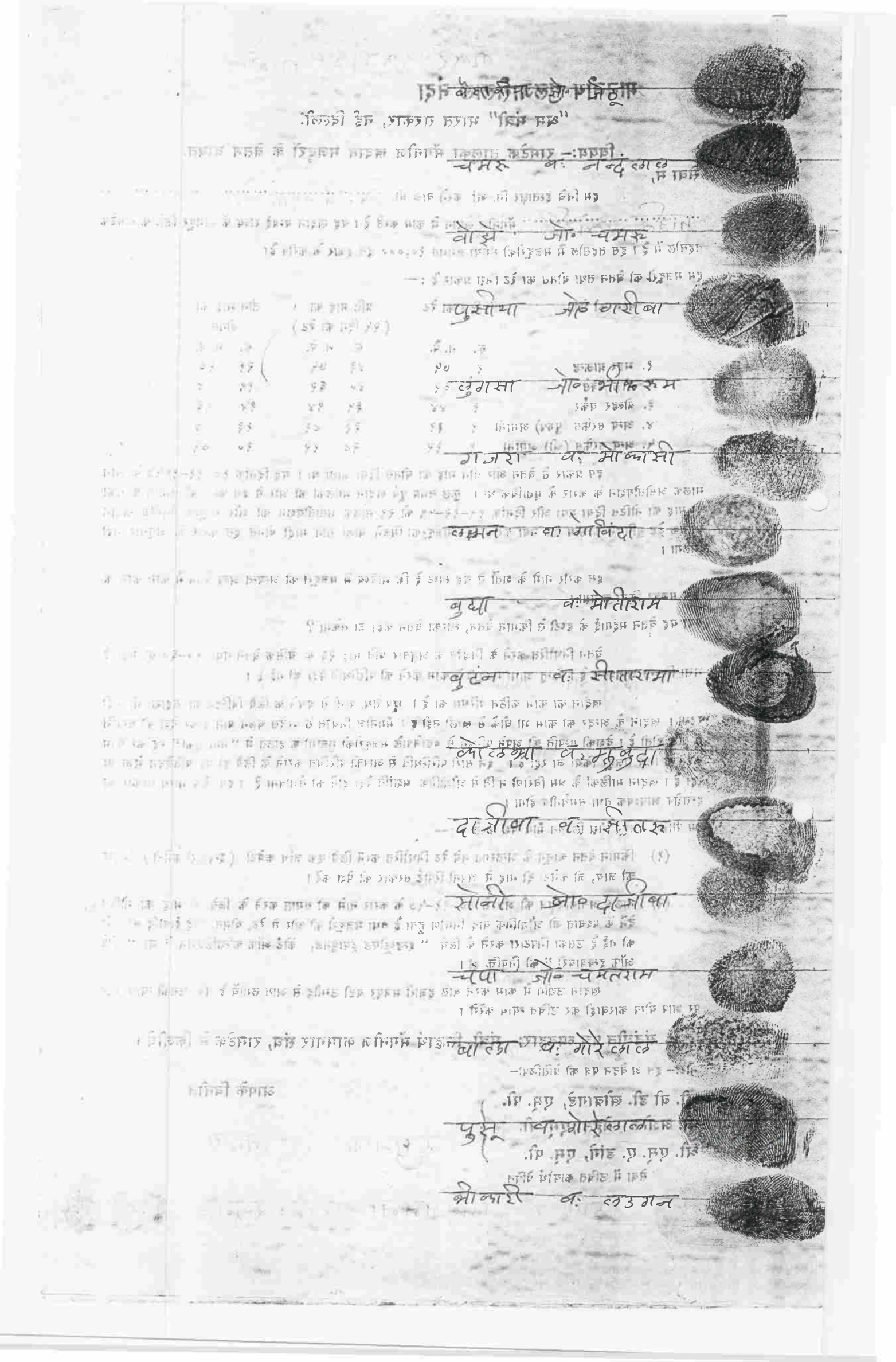

रामी जो० भीकारी

जुगा व. छोटा

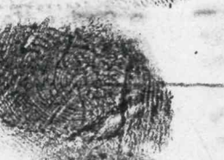

सुंदी जो० जुगा

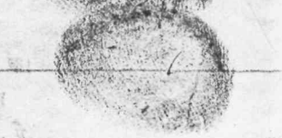

फाग्गू व. रोंदी

रामसींग व. रोसन

फुलझर व. बाहादुर

चमली जो० फुलझर

पुसू व. हीरदे

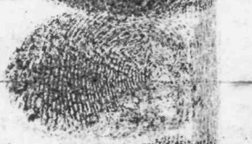

जसोदी व. रतन

छोटी व. कोसन

सुकालचंद व. बोदू

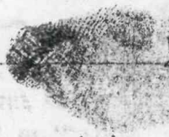

सान्ती जो० सुकालचंद

मोल्हु व. फेकंन

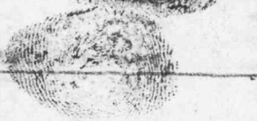

मंगल व. कडरू

सोनी जो० मंगल

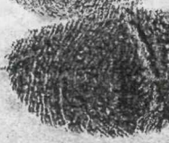

जनी जो० खेपल्या

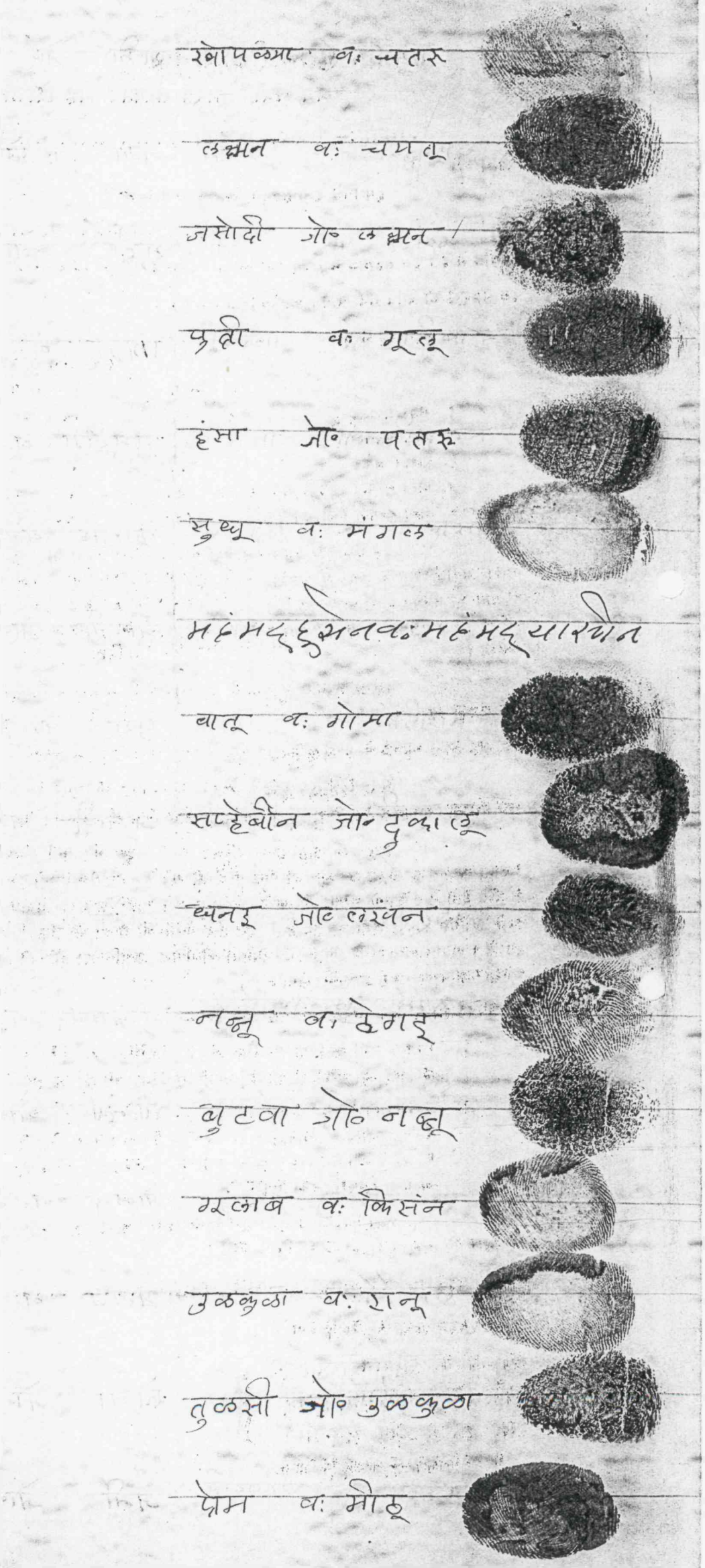

रखोपळ्या व: चतरू

लक्ष्मन व: चपतू

जसोदी जो: लक्ष्मन

फुली व: गूलू

हंसा जो: पतरू

सुखू व: मंगल

महंमदहुसेनव: महंमदयासीन

बातू व: गोमा

सफेबीन जो: दुल्हालू

धनरू जो: लखन

नन्हू व: ढेमरू

बुटवा जो: नन्हू

गुलाब व: किसन

गुळकुळा व: रानू

तुळसी जो: गुळकुळा

प्रेम व: मीठू

नंबर ३१७/६० तारीख ५।५।६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अां. करने वाले श्री. सी. पि. एफ. अे. कंपनी लिमिटेड माईन .... मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१.	७५	४३	७५	२१	१६
२. धीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मॉगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, वृद्धि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

लक्ष्मन व. मारोतू

बापूजी जो. लक्ष्मन

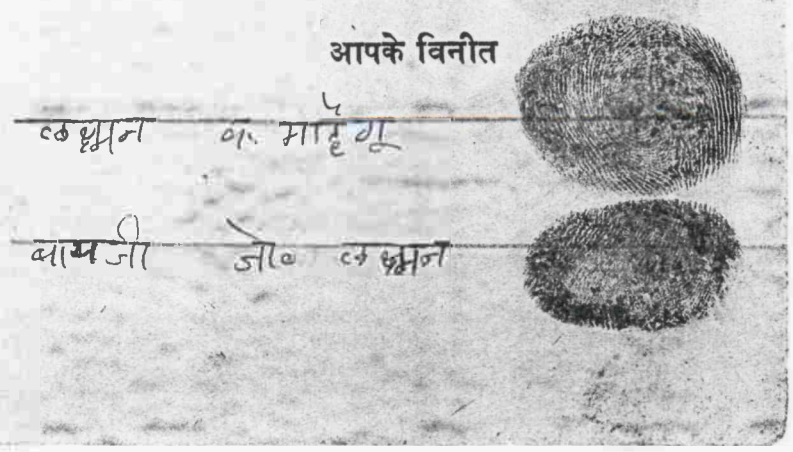

रामचन्द्र व. बालीराम

पुसु ल्क. दसा

झीमिया जौजे पुसू

भौदू व. बालकृष्ण

प्रकोस व. रामा

गिरजा जौजे प्रकोस

पुजाराम व. मवाराम पुंजाराम

कमल जौ. पुजाराम

पंसारी व. ...

दुरगी जौजे पसारी

बालसाहु व. पितांबर

मारोती वा. तानबा

सरवन व. सुंदर ग्राम सही श्रावण

महादेव व. परसराम

कवलती जौजे महादेव

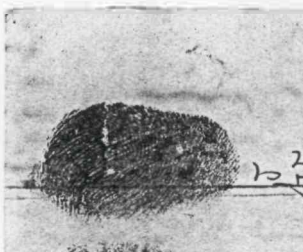

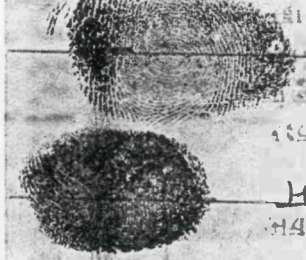

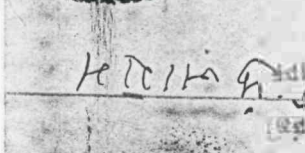

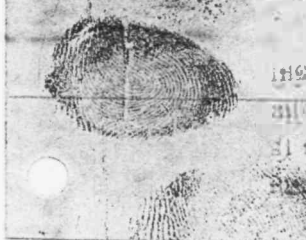

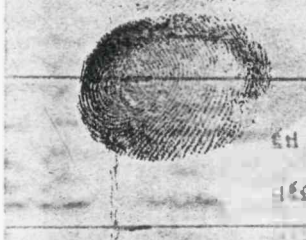

स्यामजी व. नारायन

विठोबा व. फरीदा

सेवंती जोग विठोबा

सुखकया व. माहागु

कतोरी व. शारदा

रामबती जोग कतोरा

नमई व. जेठू

गेंदिया जोग नमई

बलीराम व. बापूजी डांगरे

गागू जोग रामचंदजी

समारु व. जेठू

गोमती जोग समारु

देवनाथ व. घनीराम

पारबती जोग देवनाथ

पुश्पा व. रावजी

चिंतामन व. माधो

कंवळबी जो० बाजीराव

लछमन व: मारोती

हीरमोती जो० कुवरसींग

कुवरसींग व: जंगली

यादोराव व: दद्दु

बैमना जो० माह्याग्या

माह्याग्या व: जागो

शंकर व: महादेव

मनसाराम व: तिजू मनसाराम

गंगाराम व: जागो

बामनी जो० गंगाराम

सुरजदीन व: सिवचरन

पांडुरंगा व: जागो

पैयली जो० पांडुरंग

धुरीया जो० संमना

धंद्री व: भमाळाळ

172) नंबर ३७४/६० तारिख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. सी. पि. एफ. ओ. कंपनी लि. मांड्रेल कां. श्री मॅंगनीज खदान मे काम करते है । यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है । इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. मडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	[illegible]	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था । यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था । कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा ।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा ।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है । किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है ।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है । धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता । खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है । मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है । देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा मूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है । इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है । खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है । इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा ।.

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि, ग्रॅच्युटी, इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो ।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये ।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
✓श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

श्रीराम वः दीवाळू भोजेवार

बिसन वः पुंजाराम

[illegible] राम.

महाविर व: ठेगाई महावीर [illegible]

धानू व: दामा.

रामदास व: मारोतगू. रामदास. बागडे

चंद्रभागा जो: रामदास.

दादवा व: कासिनाथ

गोविंदा व: [illegible] [illegible]

मोहन व: कादू.

शिवलं व: भाऊर.

टिकाराम व: बारकू.

मंजूळा जो: ~~[illegible]~~ अतू

~~सारावन व: कुसन.~~

सुकदेव व: सिताराम S. S. Bhela

~~छेबू~~ व: तिमा.

सरावन व: कुसन.

~~बापुराव व: तुकाराम.~~

छेबू व: तिमा छेबूव: तोमाभमावा

बापूराव व: तुकाराम. Bapuroo

मोळकू व: मारोतू.

रघू व: भंगी

दुकालू व: धनवर

लक्ष्मन व: गोविंदा

गोमा व: रामा

भागरती व: दोदबा

सोबू व: दरबू

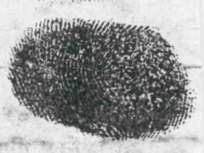

बतासीया जो० संवरराव

तेजराम व: साडूबा

गोपी जो० दाजीबा

गनपत व: दाजीबा गनपत

दाजीबा व: टूना

समलू व: मंगल समलु

बती जो० अमरलाल

भोका व: किसन

गुलू व: भगलू

करीया व: बाला

छोटेलाल व. माधो

रामा व. किचू

बापूराव व. आत्मा बापूराव

कवळू व. आरु

जसोदी जो. कवळू

केसरी व. भीका

मनेसा व. हिरासिंग

छोटी जो. मनेसा

पांडुरंग व. बाजीराव

दुलारे व. छोटा दुलारे

रामा व. टेन्या

बनी जो. रामा

गोपाळा व. सरावंन - गोपाळडोंगरे

बाजीराव व. कुसन ढवरे

मोळकू व. सरावंन

यसोदी जो. मोळकू

नं. ३९४/६० 17 तारीख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. सी. पी. एम. ओ. कंपनी लि., माइनिंग कांद्री .... मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शोफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नहीं मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महंगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथ, पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नहीं है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मॉंगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो। आच्छु डी.

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

रामा वः किशोर

नागो वः पंचम

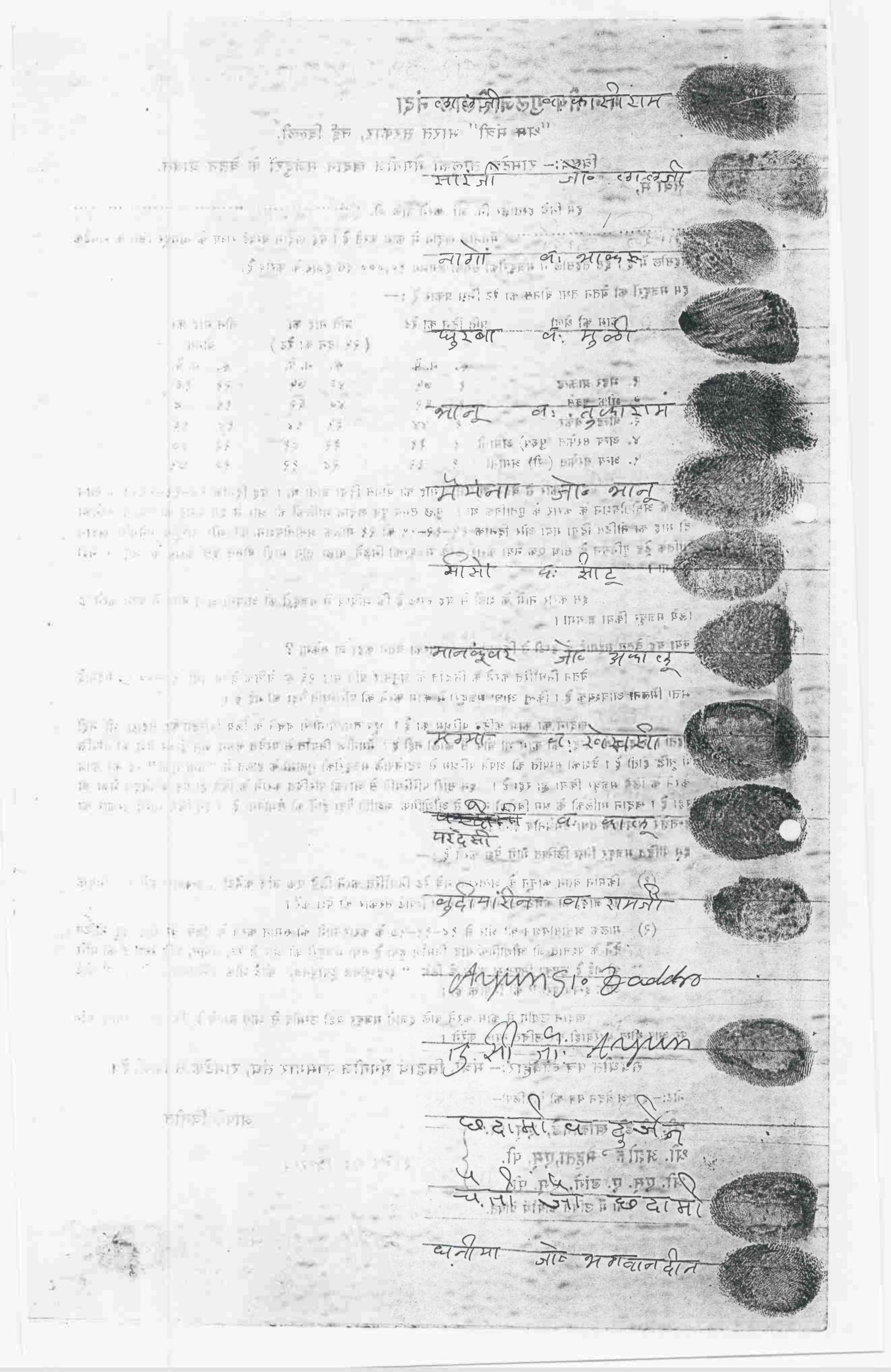

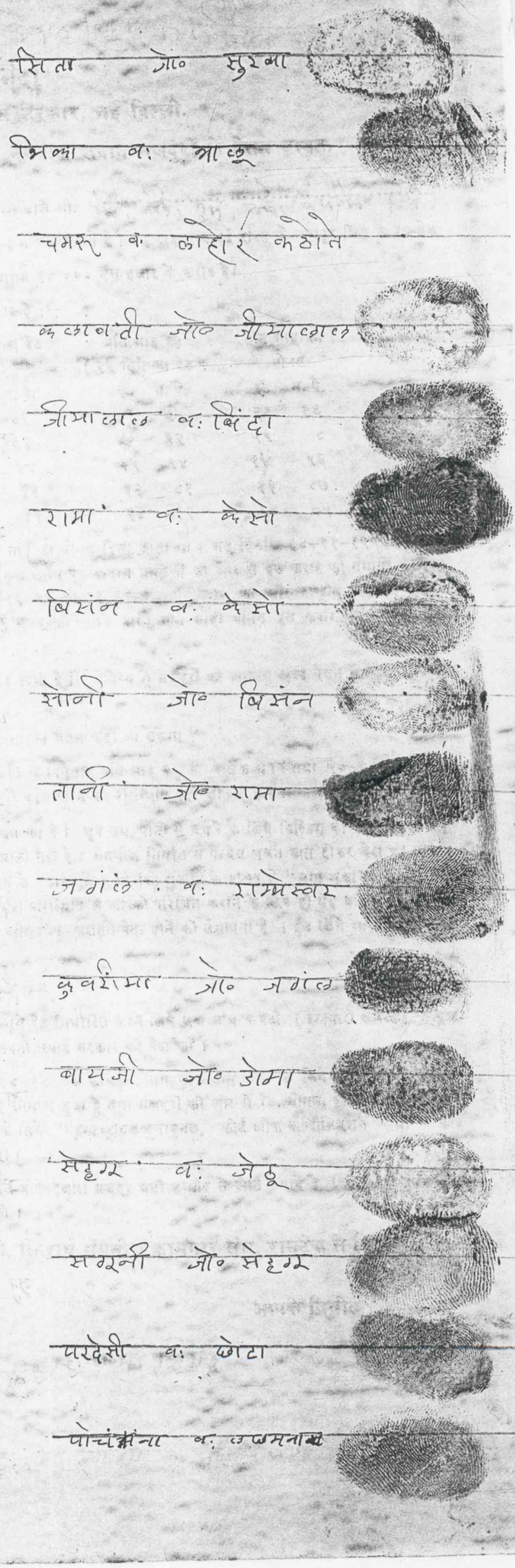

सिता जो० सुरमा

भिक्का व: आकू

चमरू व: लोहार कठौते

कलावती जो० जीयालाल

जीयालाल व: बिंदा

रामा व: केसो

बिसन व: केसो

सोनी जो० बिसन

तानी जो० रामा

जगंल व: रामेश्वर

कुवरिया जो० जगंल

बासजी जो० डोमा

सेहगर व: जेठू

समरूनी जो० सेहगर

परदेसी व: छोटा

पोचंना व: लखमनाथ

सेखकुसमान व: सेखसुलतान

साईआ व: खुलू

डोमा व: भदू

झिंगू व: मदारी

सखना व: फकीरा

खेमचंद व: छोटेलाल

फुंदी जो० जेठू

पुसीआ जो० जोहरी

रमसुला जो० रामा

दीनदयाल व: सोभा

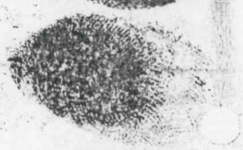

तिजीआ जो० दीनदयाल

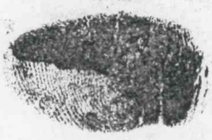

सलीमा जो० सुकराम

संत्मा व: झिबल

झुली जो० संत्मा

बुधा व: ईसवारी

लक्षमी जो० बुधा

[illegible]

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. सी. पी. एम. ओ. कम्पनी लिमिटेड माइन कांद्री मॅगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१७	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नहीं मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मॉगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो। ऑच्यूर्स

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस अ वेदन पत्र की प्रेतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक हता, एम्. पी.
✓ श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

[illegible]

[illegible]

बानूरूमा व: दामा

पारबती जौ० डोमा

गोमा व: दीना

मोवाई जौ० गोमा

रामनाथ व: गंगाराम

सुरजन व: जिमन

ममृनी जौ० महादेव

बते व: सुरजू

देवरती जौ० मन्नदीराम

फगनी जौ० सुकलाल

भगवानदीन व: चिंडा

माऊमा व: सामद

शंकर व: मैकू

कुसो जौ० रामजी वावन

जेठू व: सुक्देव

दलपतसींग व: ठाकुरदीन

सिरवतीया जो० दलवा

प्रमाई व: रघु

बिदेसी व: प्रमाई

गंनू व: डोमा

बिराजल व: भदू

चिरकूट व: छिमराम

माया व: तिजया

बनू जो० माया

रेसमी जो० सदासीव

देवव्रत व: तिजया

रूजी व: गनेशा

गंगू व: पांडूरंग

कालजूराम व: बैसारनू

भागवती जो: कालजूराम

दामा व: दीना

फुलबाई जो० दामा

नंबर ३२०/६० तारिख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अां. करने वाले श्री. सि. पी. एम. ओ. [illegible] लि. [illegible] मँगनीज खदान मे काम करते है । यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है । इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. चीफ वर्कर	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था । यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयेशन के करार के मुताबिक था । कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन की और राष्ट्रीय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा ।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा ।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है । किन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है ।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है । धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता । खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है । मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है । देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है । इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है । खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है । इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा ।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो । भेज्युअ

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये ।

नोटः– इन आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

[illegible signature]

[illegible signature]

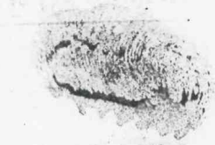

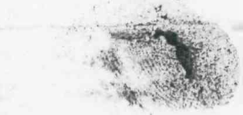

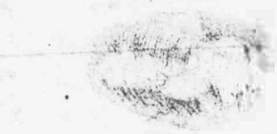

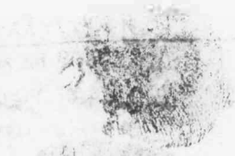

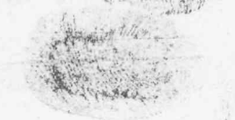

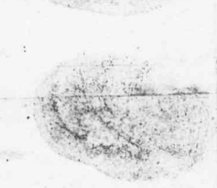

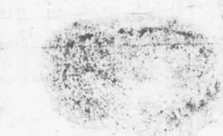

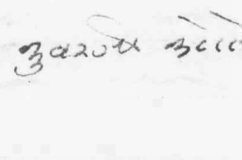

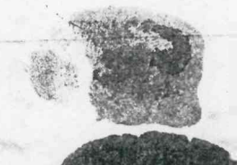

नंबर ३३४/६० तारीख ५/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. सी. पि. एम. ओ. कंपनी, लि. [illegible] [illegible] मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसोल में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. भडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शोफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें को संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

राजेराम वः कोसन

रघुनाथ वः बेड्या

नारायण वः खुदाम

रामनाथ व: फकीरा

बूटन व: सीताराम

सुन्दरी व: डोंगू

अडू व: पैकू

राधी व: गोविंदा

पारबती व: जगलू

सारजा व: रघुनाथ

रामराव व: जगलू

बाबा मोतीराम

काशीनाथ मारोती

मोरारी व: किसन

धोंडू व: रामनाथ

गंभीरा व: ऊरकुडा

राधजी व: पांडू

पंढरी व: रामा

सदाशिव सीताराम

लखन व: दसरथ

नरहरी व: पंचमबागडे

नामदेव आकरु गजभीये

नामदेव व: महादेव

आमा व: आवन

जाई व: होमके

रयानी वः रामा

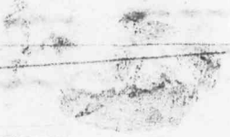

रयानी वः बापू

झींगर वः गोंदरू

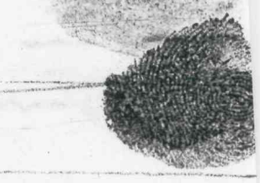

म्हानू वः तौराम

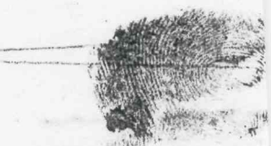

डोमा वः रमलू

म्हानी वः लीला

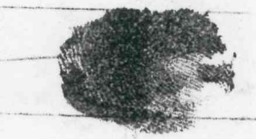

~~नोनी~~ नंजी गोविंद

कुपास्या वः आतमाराम

गनबा वः बापू

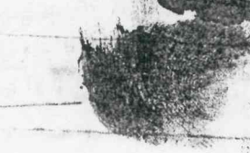

राही वः गोमा

जाई वः किसन

किसन वः सीताराम लेखकार

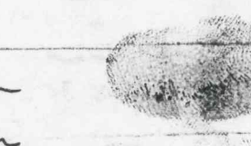

कुरजा वः बुद्धू

सोरजो वः भदया

जनी वः बुद्धू

तुकड्या वः जगन

गगू वः दमलू

~~[illegible]~~

बापुराव वः कान्नु

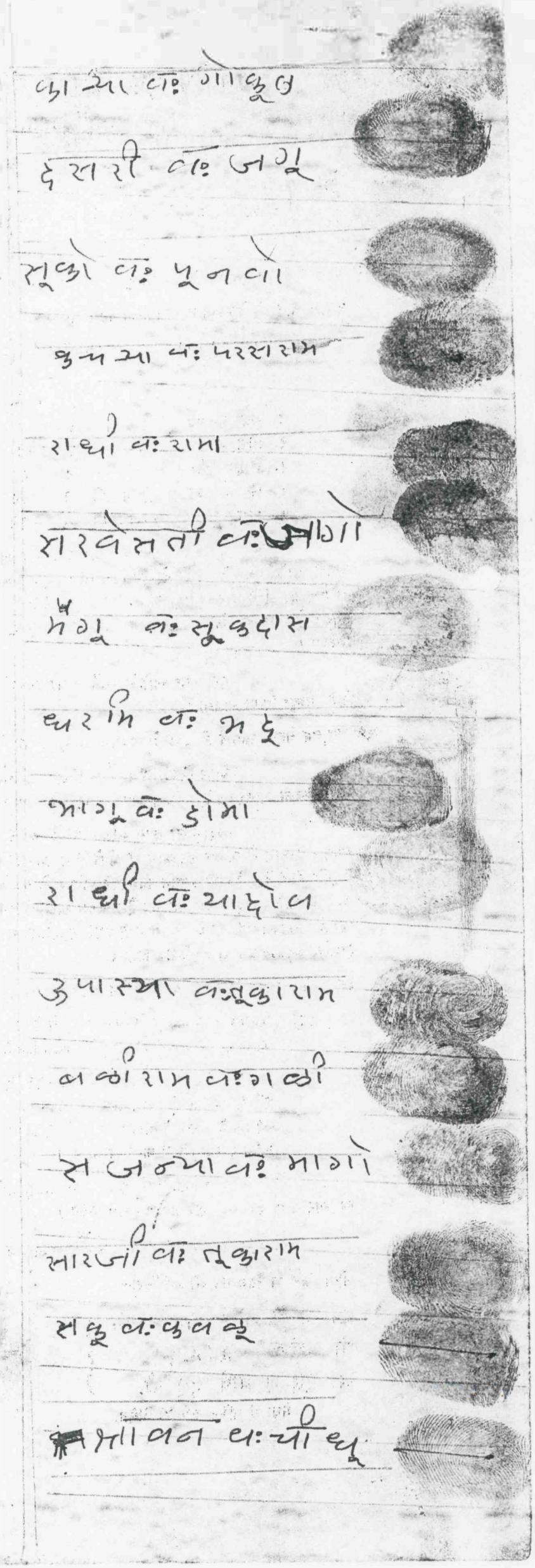

काल्या वः गोकुल

केसरी वः जगू

सुक्रो वः पूनवो

कृष्ना वः परसराम

राधो वः रामा

सरवेसती वः मांगो

मैंगू वः सुकदास

धरमि वः मदू

मांगू वः डोमा

राधी वः यादोल

उपास्या वः तुकाराम

बक्षीराम वः गाव्ही

सजन्या वः मांगो

सारजी वः तुकाराम

सकू वः कवळू

भावन वः चौधू

नंबर ३२६/६० तारिख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. कैरी मिनरल्स प्रा.लि. .... मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.
१. भडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. पीक वर्कर	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–'५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता एम. पी.
✓ श्री. एस्. ए डांगे एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत
महादेव चौधरी
दशरथ आत्माराम
कवतिक बागडे

देवकी ज॰ बाळू

मानीक व॰ नागोराव चेनकापुरे

चांगोना ज॰ टेकचंद सहारे

नायता ज॰ नागोराव सांगोळे

गंगाराम व॰ आत्माराम मेश्राम

गया ज॰ गनपत वडनांगे

सहदेव व॰ सीताराम गुरनुले

सीताराम व॰ सोमा तांदुरकार

यादो व॰ बुध्या मोटघरे

सीता ज॰ यादो मोटघरे

फजीत्या व॰ अंतु मानकर

गीरजा व॰ राजाराम सीरसागर

रंगु ज॰ गनपत कोठकार

मुरराम व॰ महासींग नीरनाल

पुटन ज॰ सीताराम

पदक व॰ सुरु मरकाम

नथीराम व॰ कोळसु मळावी

लक्ष्मी ज॰ नथीराम मळावी

मैना ज॰ आत्माराम मेंगारे

नत्थु कुकाडव बोरडे

केरवना नत्थु बोरडे

नंबर ३९८/६० ता० २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. भां. करने वाले श्री. राजाबहादुर किलचंद सिंग (खाण) मालिक पारशिवनी .... मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ब्रीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नहीं मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस ग्रेच्युटी देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

(५०) शामराव गंगाराम

(५१) गोविंद गंगाराम

(५२) सोमा वारलु

(५३) अचला जो. सोमा

(५४) गनपत चुन्नु

(५५) रामलाल चुन्नु

(५६) इंदी जो. रामला

(५७) बया जो. लक्ष्मण

(५८) काल्लु खंडु

(५९) सीता जो. खंडु

(६०) केमा उरकुडा

(६१) तुलसी जो. केमा

(६२) विठोबा जागो

(६३) सोनतिज जो. विठोबा

(६४) काशीनाथ उकडा

(६५) सिता जो. उकडा

(६६) रामचंद उपासु

(६७) यशवंता रामचंद

(६८) सखुबाई जो. रामचंद

(६९) गजरी जो. भोज्या

(७०) जानी जो. नामदेव

(७१) उपासु गोविंदा

७२ तुलसी जो. गोविंदा

(७३) उरसी जं. नथु

(७४) बिराजु जं. नवलु

(७५) बाला रामजी

(७६) बनी जं. बाकला

नंबर ३९०/६० तारीख ५/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. [illegible] [illegible] मॅगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणो	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. छीफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधो मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस [illegible] देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इन अवेदन पत्र की प्रेतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक ,, ,,
श्री. एस्. ए

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

[illegible]

[illegible]

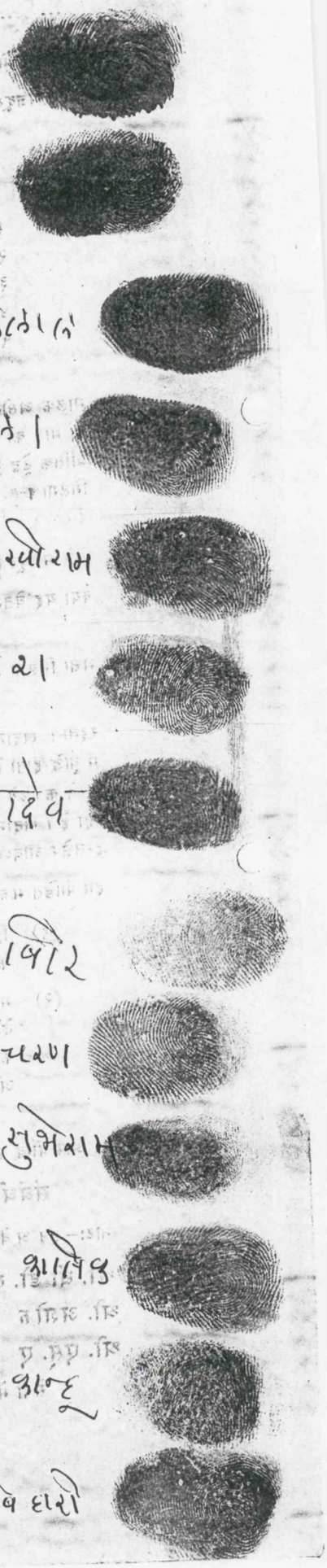

सिवराम व: छम्मा

जुग्गा व: रतन

सुगदेव व: सुखलाल

पांचो व: पकुली

मरारवन व: सुरखीराम

सुभे व: गणेश

धानेया व: सुगदेव

सिब्बा व: महावीर

रामू व: सुरपचरण

ईंदवती व: सुभेराम

रामदयाल व: क्षातेक

दुरवनी व: कान्हू

सुगदेव व: बिहारी

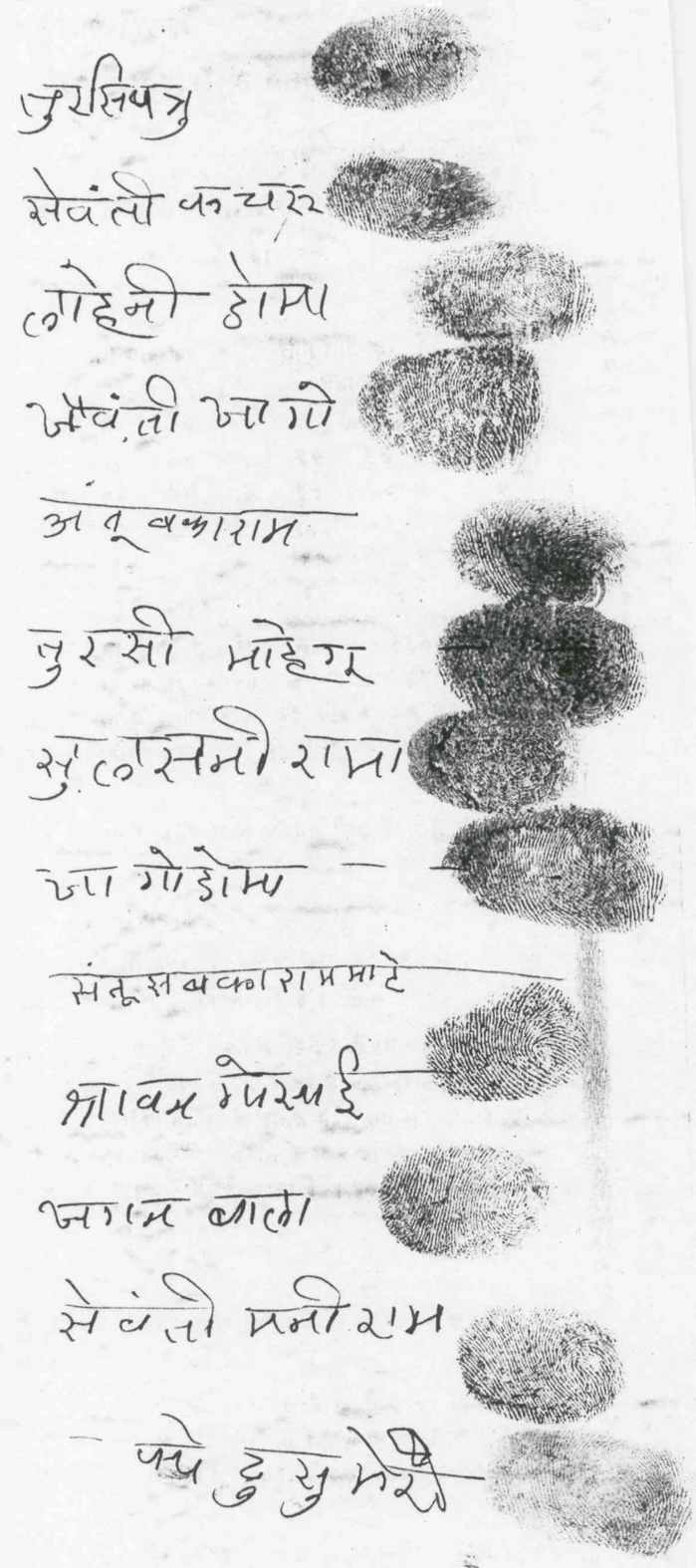

प्रतिपत्र

सेवंती कचरू

सोहनी होमा

भौवंती भागो

संतू बकाराम

तुरसी मोहरू

सु. लसमी रामा

भा गोडोमा

संतू सबकाराम माटे

भावन गेरभाई

भागन बालो

सेवंती रमीराम

पके दु सुमेरी

परदेशी व: इतवारू

कौशल्या व: पंचराम

लछमन व: फागो

रुखमी व: महादेव

काशीराम व: तुरसा

जिजना व: गोरेलाल

सनी व: महगाया

परदेशी व: श्यामलाल

दौसया बाई व: सुरजदान

रंभा व: आमशी कहांत

सरमन मुल्लू

चेनी व: बुद्दू

दसरू जैराम

गुलाब दसरू

सदाशिव व: कारू

भागु श्रावन

केरसेर

नंबर ३९०/६० तारीख २१२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. [illegible] मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ओफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक ;, ए म्. पी.
श्री. एस्. ए

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

[illegible signatures]

शुकर वोराव: बैजो

बाजो वा: रघुराई

बैंदा वा: मंधारी

रायमोती रामचन्द्र

कैलकू बारेलाले

सुकदा मंधारी

ठाकुर बारकुया

रगोदी गोहण्या

नेवमो चमार

सुनयमण मिव्वा

हादु रीवकरु

लेफूल बाहादुर

परकु लेलकु

सरावन दिनवा

बायेन्ना तुलकाराम

रैनाजानु

गोमा माधो

मुणाबाई विठोबा

गोविंदा मायगु

रायवंती जंगल्या

धुरसेन मायगु

सुकरू बाजीदू

नारायण जायनू

केशिमा रावल्या

भोज्या उपा

इसलीरा रामा

झाडु चमरू

कंचन धनाजी

जाटक मान मजु

पुनिया बुद्धू

राजेरामसाहु

उरकुडी रवृदाजीवा

मोतीरामदीनाजी

गिरधर चमरू

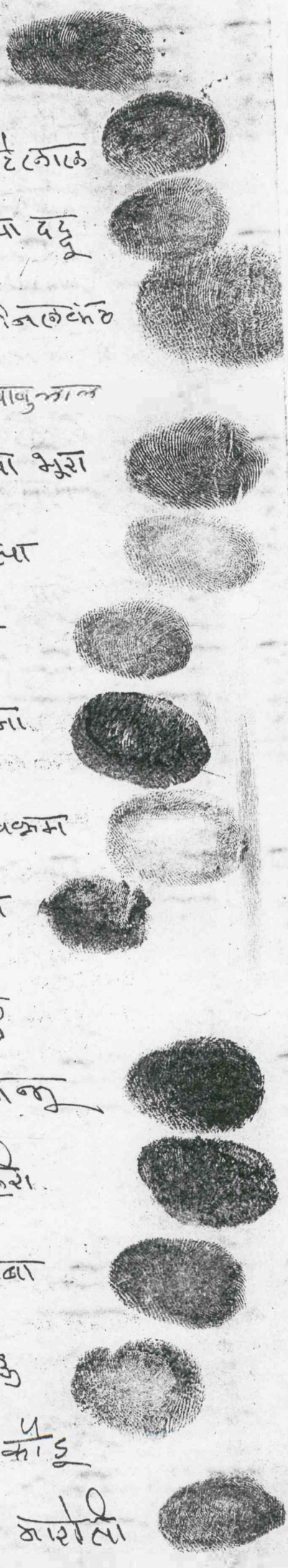

गिरि हजारा

फुलको छोटेलाल

सुक बिरोया ददू

किशाराम निलकंठ

रामेश्वर बाबूलाल

सिरपीलया भूरा

गंगी बसंता

सकू सपया

पांडू जाड़मा

गोकुल विक्रमा

बनी हेमा

महेश्वी जेठू

शिवदान मन्नु

कालू बीहरा

फागया पिनबा

डुंगदा परकु

परवाड़ी तीकाडू

सरपसली बारोली

क्रमांक ३१०/६० तारीख ७/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. [illegible] मॅंगनीज खदान में काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ग्रोफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महंगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा मूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्यागिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

[illegible]

चिरकूट व. पंचू चिरकूट

जागो व: ओम जा गो

लखमन व: शिवलाल

सारङ्गी जौ: लखमन

भीमा व: महादेव भीमा

सैला जौ: भीमा

सखू व: गनपत

रुखमन व: मारुत

मालुबा जौ रुखमन

मोती व: राधा

राजेराम व: बिसन

सेराम व: लखमन जौ: ... लखमन

जानकी जौ सेराम

श्यामा व: दिना

मंगली जौ शिवलाल

बारकू व: गोविन्दा

किसन व: नारायण

पार्वती जौ सोमा

डोमा व: बाहरा डोमा

चिरकुट व: पैकू चिरकुट्या

अंन्तु माधो

लायनी जो आन्तु

सोमा व: बाजीराव सोमा भीमते

अंन्तु व: पैकू अंतु पैकु

लायनी जो आन्तु

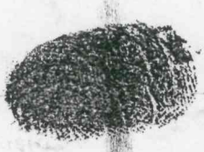

गुनी व: बाजीराव

परशराम व: काशिनाथ परशराम

द: अवधा व: सितारा

द: मंगलु व: बिसाहू

राम व: रामरथ

मेनीजै दा जीवा

रेसमा व. वालमा

अमरू व: माहासिंग द: अमर रू

मगनी जौ. अमरू

द: मेहतरू व: मंगतु

मेहतरीन जौ मेहतरू

द: गुरूसींग ठाकुर व: हीरालाल

सुनदी जौ गुरू

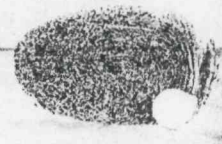

मुजबक व: भीऊ

सुकुवरीया जौ. मुजबक

उल्टू वा सपता

डहरिन जौ उल्टू

गरीबा व: तिजऊ

बिरजाबाई जौ. गरीबा

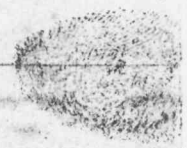

दुर्जन व: बोधी

दुकवारीन जौ मेहत्री

दुकालू व: सेवनु

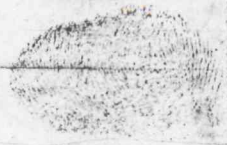

महेश व: रूपधर

अं[illegible] व: गोमा

नंबर ५५०/६० तारीख २/२/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

इम निचे इस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. .... मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ग्रीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नहीं मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

वेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नहीं है। मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह.कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

मदन दराआव

सुखई चैतू

फुलकारीया बुद्धो

गोपी चोलामन

कल्ली सरावन

उ. रकुरा बीधा

लक्ष्मी कोदया

जगदेव धरहारी

सोनलाल जगदेव

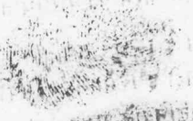

धोबोबाई देबी

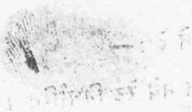

बुधे ~~[illegible]~~ दसई

कपसी जगटरया

रखमा माहरु

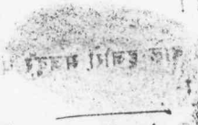

देसो दीवाई बैसारुवू

हंटरया कोइजू

कोयरा आनन्द

गर्या गोमा

गजी रामनवा

कौसनी जोगो

गंगमो जोगो

काशीराम जंगलू

भागरती रामलाल

बाबूलाल जुगराज

वेनो बुधरू

धनीयां मंगल

मोनो बनशहराम

लक्ष्मण प्रदेशी

पुसीयां बैसाखू

प्रदेशी तुलसी

पुनरु दसई

सरजु रघुनाथ

बदरी रघुनाथ

रनीयां मंगल

अतबल रघुबीर

कुमारीयां बोधरी

सोनी चुन्नु

बुधीया पन्सारी

गग्गो रघुनाथ

धोरखिया बन्सधारी

जग्गू सिपाही

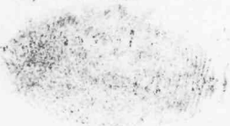

जुग्गी गनपत

सिपाही देवी

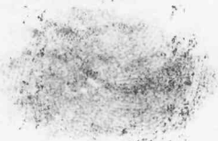

बुल्ली बन्सधारी

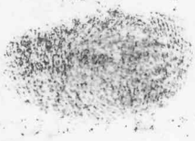

रुकमा सिपाही

रामफल देवी

गेन्दीयाँ बारेलाल

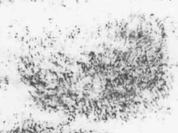

रामसरन कद्दू

सुन्दरीयाँ बच्चू

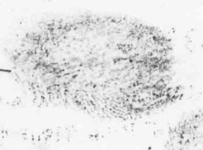

बुद्धू बीहारी

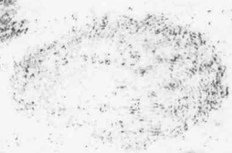

पारवती बुद्धी

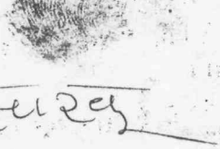

दुलरीयाँ बेसरवू

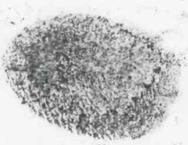

सोनीयाँ जैकरन

कोसल चौधू

बुधी पंचम

नंबर ३९०/६० तारिख ८/८/६०

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. भां. करने वाले भी. [illegible] मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को वेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राउन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ओफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मँगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधी मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नंगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रेतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक हता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

छोटी सुमरण

गोधी उपाध्या

संपोलया दल्कू

पेंघु जिभरल्कु

केणा सुनर

कुदया बारल्कु

लौख्या राघो

फूलख्या राघो

पारबती उपाध्या

बाकू लौके सालाया

सारो मुलदु

फूलके बाई गोन्दलेफके

उगहुरी मलेवा

भूहे लेला लेके डगा

सखाराम नारायण मांधरे

ठेलों जगल राम

[illegible]

पत्नी कुदई

डोमा आत्माराम

सुकलाल जंगल्या

सुरजया बिसराम

वेंकटराव वै. बाजीराव

रामलाल रामसारूप

भैरया जोगले बैसाखू

गनेश अरजू

यशोधा आडकू

बाजीराव लटारू

लटारू सोनबा

सुंमा तुना

राधा सेवा

कधरू बिहारी

~~बिहारी~~ छोटा
जमना

फगवा डोमा

गोंदक पुन्या

भूरक्या बाजीरा

गोजा मदगु

द=महादेव रामदिन

करीं रंग मिलक्कू

अचल गिलकू

सुक्को सुनार

बैकाबाजीराव

गिरधारू हमरल

कुमली रामचरण

चंदिरलाल सहू

मुको पलेटू

समारपरदेशी

मंगलू दसरी

रामबती दादू

सी परसामकापुसी

मैनादेवाजी

राम.व. हरी

किरण रचलू

कंठाराम मल्ल्या

नाम देव अंहया

माहूलाल फादू

बैरागु माहू

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. अं. करने वाले श्री. [illegible] मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. ओफ वर्कस	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
[illegible]न्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन क करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधो मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होने को संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्र्याबुनल, कोर्ट ऑफ कन्सिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस आवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

गुलाब मारोती

आत्माराम रामाजी

गंगाराम [illegible]

[illegible]

म माहादेव रामसिंग

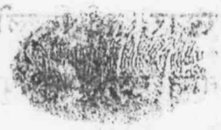

कासी ज. माहादेव

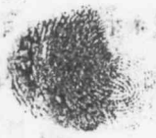

६: बाबुलाल हिरा

सुमेरा ज. बाबुलाल

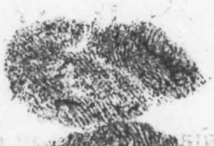

कासी ज. हरी

~~६: कन्हैया रामप्रसाद~~

शाहबती ज. कन्हैया

रामचंद्र व. बालका

गोपाल ~~[illegible]~~ व. फुकंदा

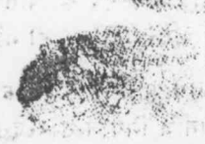

छोटिबाई ज. मारवम

कवलू व. जगाबु

अमरीतबाई ज. कवलू

दशरथ व. तिजू

सोमा व. हिरदम

चैती व. धर्मू

सोनी ज. तिजू

मुन्नी व. रामलाल

उरपबती ज. बिरजु

उरजा ज. देपलू

तुलाराम व. गोवर्धन

निषेदरी व. पितांबर

चरनोल ज. बिदेरी

भोली व. रामजी

गिरजा ज. दिवाल

अगोस्थय ज. सोमनाथ

लक्ष्मण व. राजेराम

गंगू ज. लक्ष्मण

रामादास व. बिसवू

दुखिया ज. रामादास

विट्ठल व. महाराजी

पयना ज. विट्ठल

सरस्वती ज. दामरू

बजी ज. फकीरा

पारबती व. कान्हू

जनी ज. बकाराम

सारू ज. गणपत

जगन व. डोमा

काशी ज. डोमा

अंजना ज. शिपराम

द: पिताम्बर व. दुरखुना

सावित्री ज. पितांबर

त्रिजीया ज. बैजनाथ

द: बैजनाथ व माडु

धुरसाय व. महेश्वर

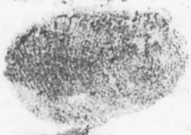

बलासिया ज. धुरसाय

हिरालाल व. दुलार

कारी ज. हिरालाल

कमलो ज. टरसाय

गणेशप्रसाद व. कुंदबलराम

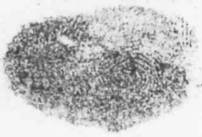

सुखिया ज. रामप्रसाद

बैसाकु व. पचई

चंपती ज. बैसाकु

मंन्ते व. नरवद

रज्जो ज. मंन्ते

मैसकी ज. सुमीतलाल

सोमा व. बिंदु

सुमित्रा ज. सोमा

फा[illegible]

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषय:– रामटेक तालुका मॅंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. [illegible] मॅंगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील मे है। इस तहसील मे मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम को श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.	रू.	न. पे.
१. अंडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शोफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१५	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	११	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन और तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मॅंगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प वेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक वेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधा मजदूरी मे काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मॅंगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति मे वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थिति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देने के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि इत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रयाबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो। [illegible]

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार:– मंत्री, सिद्धार्थ मॅंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:– इस अवेदन पत्र की प्रतिलिपी:–

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

आपके विनीत

16 (1) [illegible]
17 [illegible]
18 (2) [illegible]
19 [illegible]
20 [illegible]

21 [illegible] उग्रसेन साहू [illegible]

22 भानुदास कृपाराम साहू

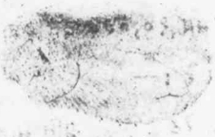

23 पारबती ज. भानुदास

24 मंगलू व. केवल

25 दसोदा ज. मंगलू

26 देवलू व. परदेसी द: स्वं:

27 बिरजू व. अमरसिंग

28 कासीराम व. चोरू

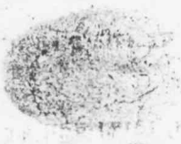

29 सहदेव व. चन्दू

30 पुरनमती ज. सहदेव

31 फुलसींग व. हिराऊ द: स्वं:

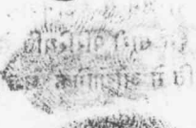

32 प्रेमबती ज. कासीराम

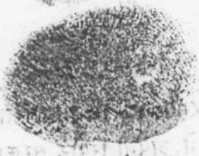

33 समारी ज. फुलसींग

34 जोहू व. चमरू

35 देपारोन ज. जोहू

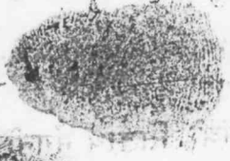

36 पोतीं [illegible]

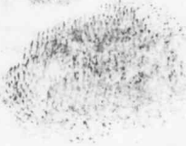

37 जागन व. [illegible]

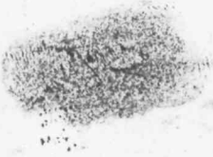

38 सरपमी ज. जागन

39 भिखारी व. नन्दू

40 कमरी ज. भिखारी

41 मंगलदास व. बुधराम

42 अनंतकुंवर ज. मंगलदास

43 रूखू व. रामदास

44 रेसहू व. पीताराम

45 हेमवती ज. भरवल

46 सोनदे ज. हीरालाल

47 बैनी व. भैसाराम

48 [illegible]

49 [illegible]

50 खोरबारी व. चमरा

51 तिजोरिया ज. खोरबारी

52 द्वारिका बुधराम

53 इमर्ती ज. कुसेर

54 पारवती ज. राजेराम

55 बुलकु व. जोहू

56 परबीया ज. कुलकु

57 कोसन व. विठू

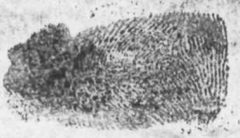

58 गौमी ज. कोसन

59 संभा व. सोन्या

60 सखुबा ज. संभा

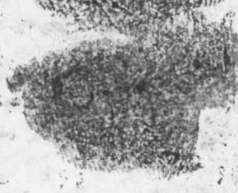

61 दशरथ व. नारायण

62 जनी ज. दशरथ

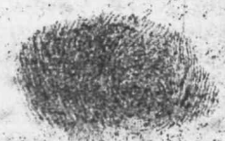

63 अरखाबू व. गणेश

64 दुरीचंद व. पतीराम

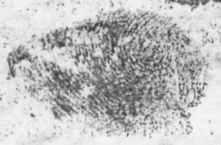

65 कावसला ज. दुरीचंद

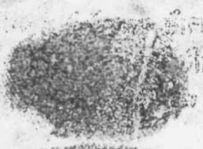

66 लक्ष्मण व. रामजी

67 द्रौपदी ज. लक्ष्मण

68 भिकन व. सुख्या

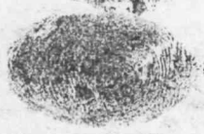

69 सरपती ज. भिकन

70 गोपीचंद व. सुख्या

71 आनंदी ज. गोपीचंद

72 भिंदी ज. कुकडू

56 परबीया ज- बुलकु

57 कोसन व- विठू

58 गोमी ज- कोसन

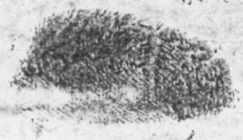

59 संभा व- सोन्या

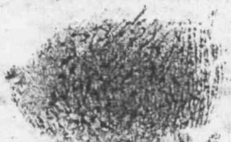

60 रखुमा ज- संभा

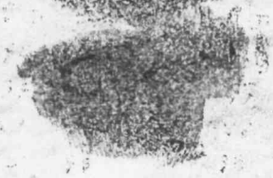

61 दशरथ व- नारायण

62 जनी ज- दशरथ

63 उंरचाबू व- गणेश

64 हिरचंद व- पतीराम

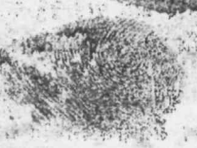

65 वत्सला ज- हिरचंद

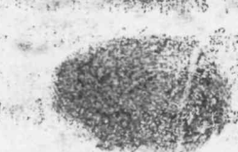

66 लक्ष्मण व- रामजी

67 द्रौपदी ज- लक्ष्मण

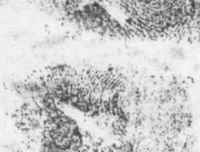

68 भिकन व- सुख्या

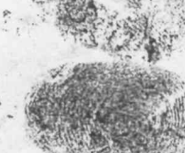

69 सरपनी ज- भिकन

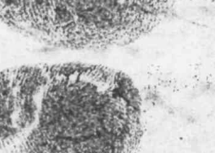

70 गोपीचंद व- सुख्या

71 आनंदी ज- गोपीचंद

72 मींदे ज- कुकडू

माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

विषयः– रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,

हम निचे हस्ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री. दुर्गा माईन्स प्रा॰ लि॰ रामदास पेठ नागपुर माईन मनसर मँगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तहसील में है। इस तहसील में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हजार के करीब है।

हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :—

काम की श्रेणी	प्रति दिन का रेट		प्रति माह का (२५ दिन का रेट)		तीन माह का बोनस	
	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.	रू.	न. पै.
१. भडर ग्राऊन्ड	१	७५	४३	७५	२१	१६
२. शीफ वर्क्स	१	६२	४०	६२	१९	८
३. बोल्डर वर्कर	१	४४	३५	९४	१४	९६
४. अन्य सरफेस (पुरुष) अमानी	१	३१	३२	८१	१३	८७
५. अन्य सरफेस (स्त्री) अमानी	१	१२	२८	१२	१०	७५

इस प्रकार से वेतन ओंर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिंनांक १८–११–१९५७ के खान मालक असोसीयशन के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदानं मालिकों की ओर से इस करार को समाप्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिंनांक १५–१२–५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रीय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तीन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शर्तो से यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अत्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के दृष्टी से किमान वेतन, स्तरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुसार प्रति माह २६ रू. बेसिक बेतन तथा ५०–६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आधो मजदूरी में काम करने की परिस्थिति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिश्रम का है। धूप तथा पानी से बचने के लिये बिल्डिंग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भी धोके से खाली नही है। मँगनीज निर्यात से परदेस चलन प्राप्त होकर देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने परिश्रम से बढानेवाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिस्थितिं से आपको परिचित कराने के लिये ही यह प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नीति से औद्योगिक अशांति पैदा होनें की संभावना है। इस लिये भारत सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा।

हम पीडित मजदूर निम्न लिखित माँगे पेश करते है :—

(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करनें लिये एक जांच कमेटी (इन्क्वारी कमेटी) नियुक्त की जाय, जो कमेटी दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें।

(२) मालक असोसीयशन की ओर से १८–११–५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस देनें के पश्चात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि ईत्यादि की मांगे की गई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डस्ट्रीयल ट्रायबुनल, कोर्ट ऑफ कन्शिलिएशन" या "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्य कारवाही कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहारः– मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोटः– इस अवेदन पत्र की प्रतिलिपी–

आपके विनीत

फागजी गजभीये

अबदुल खां

हदू पंचम मानतंटकुर

श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एम्. पी.
श्री. एस्. ए डांगे एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यार्थ प्रेषित.

चांदेमाला उपासराव

शिवप्रसाद छोटू

समारु छेदूवडी

सिम्मो शिवप्रसाद

गंगा दौलत

शिवलीया सुरजन

तारा सुरेश

अंजली गोविंदा

उमा शिवा

सोनेली [illegible]

मसाइ लक्ष्मण

राधा साधाराम

तुरसी भाडाराव

चंदमोती कुशोराव

समारु प्रसाद

शिवालाल गिरधारी

महिलाबुरी रामा

कृष्णाबाई रामराम

गुलाब दादु

देवकल श्रीराम

सादुराम धुरी

चंदा सादुराम

गुर्जी नारायण

जाई सदाशिव

गुणी नारायण

किसनी सदाशिव

शांती रामलाल

श्रीरंग धामा

किसन दिनदयाल

छोटू बन्नाराम

शायनी श्रीरंग

सिता बाबुआ

सिता जागो

काशी डोमा

युधीयासीन किसन

इंद्रावती गोपाल

सुंदर कुकवा

यशवंती रामदास

लक्ष्मी सोमा

कावेरी प्रल्हाद

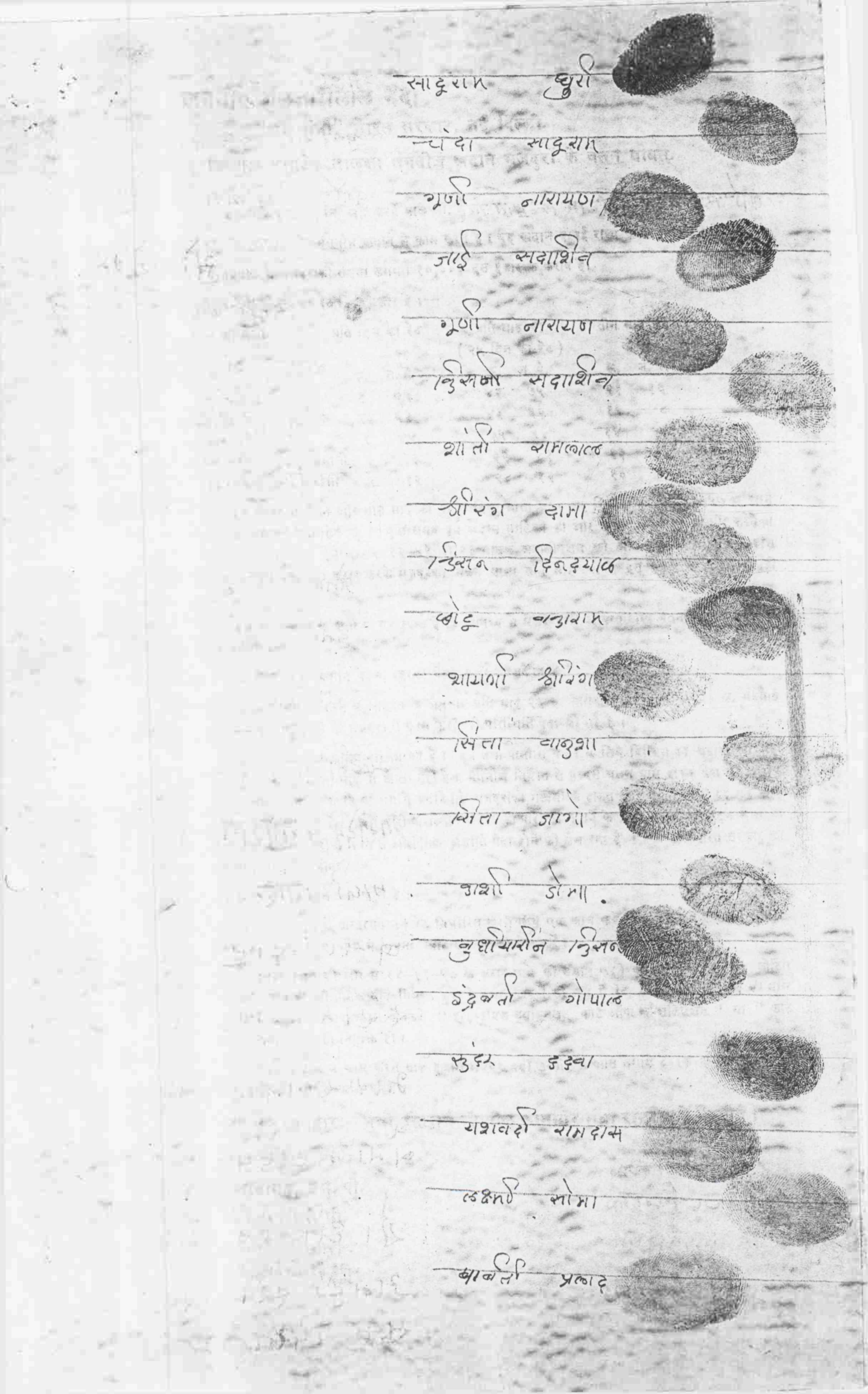

अंजीरा रघु

कुवरीया इश्वर दिन

दुर्गा लक्ष्मण

सुरेश जैंकू

येमुनी बापूराव

सकू शंकर

वत्सला धोंडबा

मनी गोमा

भागू कचडया

प्रेमा भीधर

ठेमो भैय्याराम

राममोती कमल

मल्हूलाल

माहादेव फकीरा टेंबुरने

माधो परमाइन

बया दादू नाथ

रूखमा मोतीराम

भागरती महादेव

बेना महादेव

राधी लक्ष्मण

आनंदी हरीदास

सकू पिसाराम